सर्व शिक्षा अभियान

कार्ययोजना एवं बजट
वर्ष 2003 से 2007

DPEP

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
DISTRICT PRIMARY EDUCATION PROGRAMME

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

जिला कार्ययोजना - सवाई माधोपुर
राजस्थान

नरेशपाल गंगवार
आई.ए.एस.,
जिला कलेक्टर एवं चेयरमेन,
(डीपीईपी) सवाई माधोपुर

ए.के. हेमकार
आई.ए.एस.,
निदेशक, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्
डीपीईपी, राजस्थान

मार्गदर्शक :
पुष्पा नामा
(आर.ई.एस.)
जिला परियोजना समन्वयक,
डीपीईपी, सवाई माधोपुर

योजना निर्माण :

1. संतोष कुमार सोनी, संदर्भ व्यक्ति
(डीपीईपी), गंगापुर सिटी
2. पवन जैन, संदर्भ व्यक्ति
(डीपीईपी), सवाई माधोपुर

फोन: 07462--224121

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	जिला परिदृश्य	1–13
2.	शैक्षिक परिदृश्य	14–34
3.	योजना प्रकिया	35–50
4.	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	51–55
5.	पहुँच एवं ठहराव	56–67
6.	गुणवत्ता शिक्षा	68–70
7.	विशिष्ठ फोकस ग्रुप	71–74
8.	अनुसंधान मुल्यांकन, परिविक्षण एवं प्रबोधन	75–79
9.	प्रबन्धन एवं अनुश्रवण	80–97
10.	निर्माण कार्य	98–103
	परिशिष्ट	
11.	लागत तालिका (2003–2007)	103–111
12.	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2003–2004	112–
13.	कियान्वयन अनुक्रमणिका	

अध्याय – 1
जिला परिदृश्य

1.1 भूमिका

संवाई माघोपुर जिला राजस्थान राज्य में अपने प्रकार का सबसे बड़ा तथा विद्यमान सबसे पुराने जिलों में से एक है जो पूर्ववर्ती सवाई माधोपुर तथा करौली है।

मुख्य दिल्ली, मुम्बई रेल मार्ग पर स्थित सवाई माधोपुर में विश्व विख्यात रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध टाईगर (बाघ आरक्षित क्षेत्र) है। जो यहां से सिर्फ बारह किलो मीटर दूर स्थित है। अनेक शासकों के उत्थान और पतन और युद्ध घटनाओं की कड़ियों का रणथम्भोर साक्षी है। तेरहवीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के पोत गोविंदा ने इस क्षेत्र की बागडोर सम्भाली। बाद में उसके उत्तराधिकारी बाघभट्ट ने शहर को आकर्षक बनाया और झील में एक आकर्षक मन्दिर बनाया।

15वीं शताब्दी के मध्य में राणा कुम्भा ने दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया और अपने पुत्र को उपहार में दे दिया। जिस पर बाद में बूंदी के हाड़ा राजपूतों और मुगल सम्राटो, अकबर व औरंगजेब ने अधिकार कर लिया। सन 1754 में मुगल सम्राट शाह आलम ने इसे जयपुर के महाराणा सवाई माधोसिंह प्रथम को उपहार में दे दिया। सवाई माधोसिंह ने पहाड़ों के बीच एक सुन्दर नगरी स्थापित की और तब से ही इसको अपने नाम सें सवाई माधोपुर नाम दिया।

मुख्य स्थल

किला – रणथम्भोर का शाही अतीत ईसवी सन 994 में निर्मित बेहतर ढंग से सुरक्षित भव्य किले के रुप में अभिव्यक्त होता है जो समुद्र तल से 200 मी. उचाई पर खड़ा है। इस भव्य किले में ध्वस्त मंडप, दिवारें, छतरियां तथा विशाल इमारतें छितरी हुई हैं। खुले मैदान में बना आठवीं सदी का गणेश मंदिर हजारों श्रद्धालुओ

का ध्यान आकर्षित करता है, तथा भाद्रपद सुदी चतुर्थी को होने वाले वार्षिक मेले का यह मुख्य स्थल है।

चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथमाता का मेला श्रावण चतुर्थी को होता है।

रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान –

अरावली व विंध्य श्रृखलाओं के लहराते भू–भाग पर फैले इस 392 वर्ग किलोमीटर उद्यान में सूखा पतझड़ी जंगल समाविष्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत यह उद्यान देश के बेहतरीन बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक हैं। सुरक्षित राजसी नरभक्षी दिन के समय में स्वतंत्रता से विचरण करता है और उसे नजदीक से देखा जा सकता है। किले के नीचे मनोहर पदम तालाब से दिखाई देते आकर्षक जोगी महल में फोरेस्ट रेस्ट हाउस है। किले के बाहर उपलब्ध जगह में अन्य सुविधाजनक आवास है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कोटा माहोली में 1977 में आठ तांबे के भण्डार माईकोलीथस और धातु से स्लेग इत्यादि की खोज के बाद इस क्षेत्र की प्राचीनता को मध्ययुगीन काल से भी पहले पहुँचा दिया है। मध्ययुगीन काल से भी पहले के प्राचीन टीले और उनका ऐतिहासिक महल सम्पूर्ण जिले में जाना जाता है। मध्ययुगीन काल से पूर्व की नक्काशी तथा शिल्पकारों कृतियां आधुरी, पिलोदा, फोसायं, रणथम्भोर इत्यादि के प्राचीन मन्दिर इसके विद्यमान किले प्राचीन रणथम्भोर दुर्ग देश की मध्य युगीन काल से पूर्व के इतिहास एवं यश का वर्णन करते हैं। रणथम्भौर दुर्ग की भूमिका चौहान वंश के निष्कासन के पश्चात यहां आकर बसने से लेकर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्वीकार करने तक मुख्य रही है। इस दुर्ग ने अलाउद्दीन खिलजी के कोध और उपहास को भी देखा है जिसकी परिणति जौहर से लेकर चौहान राजाओं के बलिदान में हुई थी। इसने चौहान राजवंश को नष्ट होते हुए तथा सुल्तानों की सल्तनत के महत्त्व के व्यक्तियों एवं सन्तों के नाम की छतरियेां के स्मारक आज भी यहां–वहां स्थापित हैं जिनमें राम ओर रावण के युद्ध एवं कृष्ण से

सम्बन्धित पौराणिक दृश्य जैसे समुद्र मंथन बने हुए हैं। पहले यह क्षेत्र जयपुर रियासत से सम्बन्धित था।

1-3 भौगोलिक विशेषताएं –

यह जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व में 25.45 उत्तरी अक्षांश में 450 सें 600 मीटर के मध्य स्थित है। बनास , मोरेल, गंभीर, चम्बल, बाणगंगा यहां कि मुख्य नदियां है। इसके उत्तर में दौसा तथा दक्षिण में कोटा और बूंदी जिले हैं। उत्तर पश्चिम में टोंक, जयपुर स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 5043 वर्ग किलो मीटर है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र निम्न प्रकार है –

ग्रामीण क्षेत्र :–

4967.40 वर्ग किलो मीटर है ।

शहरी क्षेत्र :

75.29 वर्ग किलो मीटर है ।

कुल क्षेत्र :

5042.99 वर्ग किलोमीटर है।

जिले का विवरणात्मक जानकारी

भूमि और मिट्टी – सवाई माधोपुर जिला आंशिक समतल और आंशिक पहाड़ी क्षेत्र है। समतल भाग हल्की बालू उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र हैं। यहां मुख्य दो फसलें होती है। खरीफ में बाजरा, ज्वार, दालें, मूंगफली आदि फसलें होती है। जबकि रबी में गेंहू, सरसों, दालें आदि फसलें होती है। अमरुद यहॉ कि फलीय फसल है। यहॉ का बोने योग्य क्षेत्र 292118 हेक्टेयर है जो कुल का 57.75 प्रतिशत हेक्टेयर है जिसमें से 1.57 हेक्टेयर

अनुसूचित जाति के पास और 2.35 हेक्टेयर जमीन अनुसूचित जन जाति के पास हैं।

1.3 जलवायु और मौसम –

इस जिले की जलवायु वर्षा के कुछ दिनों के अलावा अधिकांशतः शुष्क रहती है। यहाँ पर सामान्य वर्षा 62.28 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 3 डिग्री सेंटिग्रेड पाया जाता है। 1988 में 87.81 वार्षिक औसत 35 दिवस का है। 24 घण्टों में 35.62 सेन्टीमीटर वर्षा 11 जुलाई 1968 का रिकार्ड रहा है।

1.3.3 खनिज स्त्रोत –

यहाँ पर आग्नेय एवं अवसादी चट्टाने जो अरावली एवं विन्ध्याचल पहाड़ियों में स्थित हैं इनमें से धात्विक एवं अधात्विक में सीसा, तांबा, लोह अयस्क, चूनापत्थर कलाई एवं सिलिका मिट्टी मौजूद है।

1.3.4 वन, मानसूनी एवं क्षैत्रीय –

इस जिले में नीम, बैर धोकडा, अरंजा, तिन्दु, अरंजा, गुर्जर, सालर, खिराय, संधा, खैर, जामुन, आम, गमई, बांस, खेजडा, पीका, सोया, ऐर, हींगास्ट, अरबी, आरे, पीपल के पेड़ प्रमुख रूप से पाये जाते हैं । इन जंगलों से स्थानीय लोगों की इमारती लकड़ी ईधन कोयला घास छप्पर ओर बाड़ लगाने के लिए बांस तेन्दु पत्ता पत्ते शहद मौसम आवश्यकताओं की पूर्ति होती हैं । सवाई माधोपुर में खण्डार व बौंली में वन पौधशालायें हैं । यहां पर विभिन्न प्रकार के जीव रेंगने वाले जन्तु मछलियां एवं चम्बल नदी में घडियाल पाये जाते हैं ।

1.4 सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य

राज्य के अन्य भागो की तरह, जिले के लोग कई मेले व त्यौहार मनाते हैं। राज्य के प्रायः सभी भागों में मनाये जाने वाले त्यौहारों दीवाली, मोहर्रम, दशहरा,

होली व रक्षाबंधन एवं ईद के अतिरिक्त स्थानीय त्यौंहार जैसे तीज, गणगौर, बसंत पंचमी, शिवरात्री, गणेश चतुर्थी, शीतला अष्ठमी, जन्माष्टमी आदि भारी उमंग के भाव से मनाये जाते हैं।

यहा के लोगों का मुख्य कार्य कृषि, पशुधन आधारित धन्धे आवश्यक श्रम के साथ जीवन यापन करना है । उनमें से अधिकतर लोग परिश्रम कर रोजी रोटी कमाते हैं । मीणा एवं गुर्जर जाति के लोग कृषि कार्यो में लगे रहतें है । महिलायें कृषि कार्य में अधिक भागीदारी निभाति हैं । जिससे अधिकांश लोगों को रोजगार मिला हुआ है । अधिकतर बालक बालिकायें शिक्षा से वंचित होकर इस कार्य में भागीदारी निभाते हैं और मां बाप की जीविका उपार्जन में सहायक बनते हैं।

1.5 व्यवसायिक स्वरूप

औद्योगीकरण की दृष्टि से सवाई माधोपुर राज्य के पिछडे जिलों में से एक माना जाता हैं। जबकि इसकी स्थिति औधोगिकरण की दृष्टि से उपयुक्त हैं ऐसा मुख्यतया इसकी स्थिति के कारण हैं। सवाई माधोपुर नगर है और साथ ही यह राज्य तथा देश के सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों से रेल व सड़क मार्ग द्वारा सुगम्य है।

1.6 प्रशासनिक ढांचा

टेबल 1.1 प्रशासनिक ढांचा

प्रशासनिक विभाग	संख्या
उप–खण्ड	5
खण्ड	5
शैक्षिक खण्ड	5
तहसील एवं पंचायत समितियां	7
नगर पालिकायें	2
शहरों में वार्डो की संख्या	70
ग्राम पंचायतें	197
राजस्व गांव	800
वास स्थान	1163

1.7 जनसांख्यिकी

जिले की सन् 2001 की जनगणना (प्राविजनल) के अनुसार कुल जनसंख्या 11 लाख 16 हजार 31 है। इसमें से 9 लाख 34 हजार 556 ग्रामीण एवं 2 लाख 12 हजार 575 शहरी जनसंख्या शामिल है। कुल जनसंख्या में से 5 लाख 90 हजार 716 पुरूष एवं 5 लाख 25 हजार 315 महिलाएं है। जिले का महिला–पुरूष लिंगानुपात 889 है। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का जनंसख्या का कमशः 244252 तथा 229627 है।

(अ) जनसंख्या वृद्धि

	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या वृद्धि	वृद्धि दर
कुल	875752	1116031	240279	27.44
पुरूष	468377	590716	122339	26.11
महिला	407375	525315	117940	28.95
लिंगानुपात	870	889	19	2.18

(स्त्रोत – भारत की जनगणना 2001)

(ब) शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या 2001

शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या 2001

ब्लॉक/तहसील का नाम	कुल जनसंख्या			ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या		
	जनसंख्या	पुरूष	महिला	जनसंख्या	पुरूष	महिला	जनसंख्या	पुरूष	महिला
गंगापुर राजस्थान	284490	151637	132853	179154	955249	83605	105336	56088	49248
बामनवास	149369	79443	69926	146369	79443	69926			
मलारना डूंगर	89774	46897	42877	89774	46897	42877			
बौली	120128	63251	56877	120128	63251	56877			
चौथ का बरवाड़ा	83548	43741	39807	83548	43741	39807			
सवाई माधोपुर	278394	146666	131728	171155	90032	81123	107239	56634	50605
खंडार	110328	51081	51247	110328	59081	51247			
योग	1116031	590716	525315	9034556	477994	42546	212575	112722	99853

(स्त्रोत – भारत की जनगणना 2001)

जातिवार जनसंख्या

जाति / वर्ष	कुल जनसंख्या	2001	प्रतिशत
अनुसूचित जाति	1116031	229627	20.57
अनुसूचित जनजाति		244252	21.88
अनु. जाति व अनु. जनजाति कुल		475880	42.64

(स्त्रोत – भारत की जनगणना 2001)

1.8 जिले में संचालित विकास योजनायें :

1.8.1 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) यह योजना केन्द्र व राज्य के 75:25 वित्तीय आधार की है, जिसमें अनाज बिना किसी मूल्य के राज्यों को केन्द्र द्वारा उपलबध कराया जायेगा। अनाज का एफ.सी.आई. के गोदामों से कार्यस्थल/दुकानों तक परिवहन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके उद्देश्य निम्न है :

मजदूरी रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके साथ अनाज की सुरक्षा जुड़ी है साथ ही उन क्षेत्रों में उपयोगी टिकाऊ, सामुदायिक, सामाजिक व आर्थिक परिसम्पत्तियां व आधारभूत विकास करना है।

1.8.2 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1.4.1999 से लागू की गई है तथा पूर्व में संचालित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसम, सीट्रा, गंगा कल्याण योजना, जीवनधारा एवं द्वाकरा योजनाएं बन्द की जा चुकी हैं।

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों को लाभान्वित करने के लिए प्रति ब्लॉक 4–5 गतिविधियों का चयन कियाजाकर प्रत्येक स्वरोजगारी को 2 से 3 वर्ष में कम से कम 2000 रूपये प्रतिमाह की शुद्ध आय अर्जित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत एवं स्वयं सहायता समूह के रूप में लाभान्वित किया जा सकेगा।

1.8.3 इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों द्वारा मकानों के निर्माण में मदद करना

तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीब लोगों को अनुदान मुहैया कराकर मददकरना।

1.8.4 इन्दिरा आवास कमोन्यन योजना

इस योजना का उद्देश्य कच्चे आवास/अर्द्ध पक्के आवासो को पक्के आवास में परिवर्तित करने हेत सहायता/अनुदान राशि उपलब्ध कराना। इन्दिरा आवास योजना के तहत प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत इस योजना के लिए आरक्षित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार, जिनके पास कच्चे/अर्द्ध पक्के आवास हैं, तथा जो उन आवासों को परिवर्तित करना चाहते हैं।

इस योजना के तहत 10,000/– रूपये सहायता/अनुदान राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं। अनुदान राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सीधे ही ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाती है।

1.8.5 ग्रामीण विकास हेतु ऋण एवं अनुदान योजना (सी.सी.एस.)

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बजट की कमी याअन्य किसी कारणों से लाभान्वित किया जाना संभव नहीं हो, उसकी आवासी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय आवास एवं पुनर्वास नीति, 1998 के अनुरूप यह योजना (ऋण एवं अनुदान योजना) शुरू की गई है।

1.8.6 विधायक स्थानीय क्षेत्र के विकास कार्यकम (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण कराने के लिए स्थानीय विधायक की अभिशंषा पर कार्य कराने के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यकम के नाम से यह योजना अप्रेल 1999 में शुरू की गई। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण इस योजना का उद्देय है।

1.8.7 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में सांसद क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ की गई जिसका मुख्य

उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता आधारित विकास कार्य कर जनोपयोगी एवं टिकाऊ सम्पत्तियों का सृजन करना है।

1.8.8 माडा एवं बिखरी जनजाति कार्यक्रम

माडा लघुखण्ड के गठन के लिए निम्नांकित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

1. लघुखण्ड में सम्मिलित ग्रामों की जनसंख्या 10,000 अथवा अधिक हो एवं वे एकही जिले की सीमा में स्थित हो तथा उनमें भौगोलिक निरन्तरता हो।
2. लघुखण्ड में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की कुल जनसंख्या में से 50 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति व्यक्तियों की होनी चाहिये। यदि किसी ग्राम/ग्रामों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कमहै, किन्तु उसके चारों ओर के ग्राम लघुखण्ड में सम्मिलित कर लिये गये हैं, तो ऐसे ग्राम/ग्रामों को भी लघुखण्ड में सम्मिलित कर लिया।

1.8.9 आवासीय भूखण्ड आवंटन

20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 14 के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गो के परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराया जाता है। जिनकी वार्षिक आय रू. 20,000/– से अधिक नहीं हो तथा ग्राम में स्थाई निवास कर रहे हों एवं जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हों। अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों एव पिछड़ा वर्गो का परिवार, ग्रामीण कारीगर, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन परिवार, स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवार, गाड़िया लुहार, घुमक्कड़ जातियों के परिवार, विकलांग परिवार एवं ऐसे बाढ़ ग्रस्त परिवार जिनके गृह बह गये हों या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, पात्र परिवारों के उन परिवारों को प्राथमिकता दी जानी है जिन्हेंने परिवार नियोजन स्थाई रूप से अपना लिया है।

1.8.10 राजीव गांधी पारम्परिक जल स्त्रोत संधारण कार्यक्रम :

राज्य में विद्यमान पारम्परिक जल स्त्रोतों पर समाज का उपयुक्त ध्यान नहीं रहने से उनके उपयोग में अत्यधिक कमी आ गई है। परिणामस्वरूप राज्य की जनता को सामान्य परिस्थितियों में भी जल अभाव के संकट से गुजरना पड़ रहा है। सूखे के समय जल के अभाव का गंभीर संकट महसूस किया जाता है। अतः वर्ष 2000–2001 से पारम्परिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए राजीव गांधी पारम्परिक जल स्त्रोत कार्यक्रम के नाम से एक नवीन योजना प्रारंभ की गई है।

1.8.11 सामाजिक सुरक्षा योजनायें

जिले में निम्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित हैं :–

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.एस.डी.पी.)
- वृद्धावस्था एवं विधवा पेन्शन योजना
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
- बालिका समृद्धि योजना
- राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना)
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना
- मेडिकल रिलीफ कार्ड योजना
- मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना (चिकित्सा हेतु सहायता)

क. सं.	योजना का नाम	व्यय		
		1997–98	1998–99	1999–2000
01	जवाहर रोजगार योजना	188.08	197.30	112.20
02	ई. ए. एस.	275.49	257.47	149.57
03	सांसद विधायक कोष	60.11	62.72	39.21

6–14 वर्ष के बच्चों की अनुमानित संख्या एवं कक्षा कक्ष और अध्यापकों की आवश्यकता

क्र.स.	वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
1	6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकायें	230989	237318	243821	250501	257365	264417	271662	279105	286753
2	नामांकन	205946	236562	243821	250501	257365	264417	271662	279105	286753
3	गैर राजकीय विद्यालयों में नामांकन	66003	75700	78023	80160	82357	84613	86932	89314	91761
4	वैकल्पिक शिक्षा में नामांकन		36164	19444	16124	12764	9404			
5	राजकीय विद्यालय में नामांकन	120605	134698	146354	154217	162244	170399	184730	189792	194992
6	1:40 में अध्यापकों की आवश्यकता		3367	3659	3855	4056	4260	4618	4745	4875
7	कार्यरत अध्यापकों की संख्या		4133	3940	3952	4257	4464	4976		
8	अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता			291	197	201	204	358	127	130
9	राजकीय विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि		16070	11656	7863	8027	8155	14331	5062	5200
10	कक्षा कक्षों की आवश्यकता		389	291	197	201	204	358	127	130

अध्याय – 2
शैक्षिक परिदृश्य

2.1 शैक्षिक विकास का इतिहास:– अरावली व विन्ध्याचल पहाडियाये की तलहटी में स्थित सवाईमाधोपुर जिला प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान व गौरव कायम किये हुये है।

रियासत काल में सवाईमाधोपुर राज्य पर शासको ने शासन किया तथा सभी ने शैक्षणिक दृष्टि से उच्च शिखर पर आसीन करने का प्रयास किया। चूंकि सवाई माधोपुर जिला अंग्रेजीशासन काल के समय से ही मुख्य रेल मार्ग से जुडा हुआ होने के कारण शैक्षिक वातावरण अधिक रहा है। कुछ शिक्षण शालाए सवाईमाधोपुर जिल`में वर्नाक्यूलर स्कूल के नाम से आरंभ हुई। परन्तु जिले की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह शिथिकिल और प्रभावित रही इसका प्रमुख कारण विशिश्ट जाती वर्ग का अधिक होना बताया जाता है।

सत्ता प्राप्ति के बाद सवाईमाधोपुर का भारतीय संद्य में विलय हुआ और सवाई माधोपुर एक वृहत जिला बना। स्वतंत्रता के पश्चात अतुलनीय उन्नति प्राप्त की है। जिलेमें जिला मुख्यालय पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा पांचो ब्लाको पर अतिरिक्त विकास अधिकारी कार्यालय तथा शिक्षा विभाग के कार्यालय सरकार द्वारा स्थापित किये है जो जिले की शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करते है राज्य सरकार के अभिनव प्रयोगो से भी जिले की शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव आया है। शिक्षा आपके द्वार कार्यकम राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा मित्र केन्द्र शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु समर्पित शिक्षा व्यवस्था के केन्द्र बिन्दु है।वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा द्वितिय चरण में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम जिले में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं नवाचारो के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कर सराहनीय कार्य कर रहा हे।

गुणवत्ता युक्त आनन्ददयी शिक्षा द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम जिले में अल्प समय में अपनी अनूठी पहचान कायम की है।.

2.2 साक्षरता दृश्य

जनगणना के आंकडो में जिले में बामनवास में सबसेअधिक साक्षरता दर 60.11 है तथा सबसे कम खडार में 43.59 है। पुरूष साक्षरता दरसबसे अधिक गंगापुर में 79.12 प्रतिशत हैजबकि खण्डार में 53.15 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर सबसे

अधिक बामनवास ब्लाक में 38.71 प्रतिशत है जबकि खण्डार बलाक में यह दर 20.94प्रतिशत है।अतः सवाई माधोपुर जिले में महिला साक्षरता की दर औसत दर से भी कम है।

साक्षरता दर

ब्लॉक तहसील का नाम	कुल साक्षरता दर			ग्रामीण साक्षरता दर			शहरी साक्षरता दर		
	P	M	F	P	M	F	P	M	F
राजस्थान	61.03	76.46	44.34	55.99	72.96	37.74	76.89	87.10	65.42
सवाई माधोपुर जिला	57.34	76.75	35.44	53.24	74.13	29.69	74.23	87.54	59.17
गंगापुर	63.87	81.92	43.21	58.27	79.12	34.37	73.04	86.52	57.66
बामनवास	60.11	78.76	38.71	60.11	78.76	38.71			
मलारना डूंगर	52.85	74.97	28.64	52.85	74.97	28.64			
बौली	53.42	72.35	32.35	53.42	72.35	32.35			
चौथ का बरवाड़ा	51.72	73.00	28.27	51.72	73.00	28.27			
सवाई माधोपुर ब्लॉक	59.36	79.32	37.15	48.97	73.31	22.03	75.38	88.53	60.63
खण्डार	43.59	63.15	20.94	43.59	63.15	20.94			

2.3 शैक्षिक सुविधाऐं

जिले में प्रारंभिक व उच्च शिक्षा का विवरण निम्नानुसार है

2.3.1 प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जिले में प्राथमिक विद्यालय 560, रा.गा.ख.प.पा.. 394, उ.प्रा. 229, शिक्षाकर्मी विद्यालय 45, संस्कृत विद्यालय 22 सहित कुल 1250 विद्यालय है। जिले में सर्वाधिक विद्यालय सवाई माधोपुर ब्लॉक में तथा सबसे कम खण्डार ब्लॉक में है सर्वाधिक आर.जी.एस.जे.पी. बोली ब्लॉक में तथा सबसे कम सवाई माधोपुर ब्लॉक में है इसी प्रकार शिक्षाकर्मी बोली ब्लॉक में अधिक है।

प्रारंभिक शिक्षा

कं. स.	ब्लाक का नाम	प्राथमिक			राजीव गांधी पा.	उच्च प्राथमिक			शिक्षाकर्मी			संस्कृत			योग	
		रा.	प्रा.	योग	रा.	रा.	प्रा.	योग	प्रा.	उ. प्रा.	योग	प्रा.	उ. प्रा.	योग	प्रा.	उ. प्रा.
1.	सवाईमाधोपुर	132	23	155	37	60	116	176				3		3	158	176
2.	गंगापुर	119	55	174	67	51	61	112	4		4	3		3	181	112
3.	बौली	105	23	128	114	45	40	85	22	1	23	3	3	6	153	89
4.	बामनवास	120	11	131	101	30	51	81				5	1	6	136	82
5.	खंडार	84	11	95	75	43	19	62	17	1	18	3	1	4	116	64
योग		560	123	683	394	229	287	516	43	2	45	17	5	22	744	523

2.3.2 उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा हेतु संस्थाओं का विवरण

कं. स.	संस्थान	राजकीय
1	सैकेण्डरी/सीनियर माध्यमिक विद्यालय	155
2	महा विद्यालय	5
3	आई.टी.आई.	1
4	बी.एड. कॉलेज	1
5	विश्व विद्यालय	
6	संस्कृत विश्व विद्यालय	
7	नवोदय विद्यालय	1
8	पॉलीटेक्निक कॉलेज	1
9	इंजिनीयरिंग कॉलेज	
10	डेन्टल कॉलेज	
11	मेडिकल कॉलेज	
12	डाईट	

2.4 नामांकन

(अ) जातिवार नामांकन कक्षा 1 से 8 तक

यदि हम जातिवार नामांकन पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक अनुसूचित जाति के कुल नामांकित छात्र 46307 जिनमें 29030 बालक 17277 बालिकाएं हैं। अनु.जनजाति के 29376 बालक 18618 बालिका सहित कुल 47994 बच्चे पढ़ते हैं। शेष 112137 अन्य हैं। जिनमें 69129 बालक 43008बालिकाएं हैं। सबसे कम अनु.जाति का नामांकन बामनवास ब्लॉक में तथा सबसे अधिक गंगापुर ब्लॉक में है। अनु. जन. जाति का सबसे कम खंडार ब्लॉक में सबसे अधिक सवाईमाधोपुर ब्लॉक में अन्य में खंडार ब्लॉक में सबसे कम तथा सवाईमाधोपुर ब्लॉक में सबसे अधिक है।

जातिवार नामांकन कक्षा 1 से 8 तक

क.स.	खण्ड का नाम	अनुसूचित जाति			अनु. जन जाति			अन्य			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	सवाईमाधोपुर	6739	4293	11032	10099	4889	14988	17709	10242	27951	34547	19424	53971
2.	गंगापुर	6909	4502	11411	5793	4644	10437	16511	10830	27341	29213	19976	49189
3.	बौली	4947	2376	7323	5294	3133	8427	13729	9037	22766	23970	14546	38516
4.	बामनवास	4231	2884	7115	5916	4813	10729	10995	6773	17768	21142	14470	35612
5.	खंडार	6204	3322	10526	2274	1143	3417	10185	6022	15207	18663	10487	29150
	योग	29030	17077	46307	29376	18618	47994	69129	43008	112137	127535	78903	206438

(Source DEO Elementry SWM)

कक्षावार नामांकन

यदि हम कक्षा 1 से 8 तक के कक्षावार नामांकन को देखें तो कक्षा 1 में जो नामांकन होता है कक्षा 8 तक पहुँचते पहुँचते यह संख्या बहुत कम हेा जाती है जो कि नीचे की सारणी से स्पष्ठ है

कक्षावार नामांकन

I			II			III			IV			V		
B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
32082	25405	57487	23367	17719	41086	19988	32313	52301	14176	7246	21422	12059	5623	17682
	VI	VII	VIII											
	B	G	T	B	G	T	B	G	T					
	8539	3165	11704	7035	2316	9351	6068	1719	7787					

(स) प्रबन्धन अनुसार नामांकन कक्षा 1 से आठवीं तक

जिले में 1250 राजकीय तथा 410 निजी प्राथमिक विद्यालयों सहित कुल 1660 विद्यालय हैं। सबसे कम सरकारी विद्यालय खण्डार ब्लॉक में तथा सबसे अधिक सवाई माधोपुर ब्लॉक में है।

क्र. सं.	जिला	राजकीय			प्राईवेट			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	सवाईमाधोपुर	80869	59566	140435	46666	19337	66003	127535	78903	206438

(द) आयु के अनुसार नामांकन कक्षा 1 से आठवीं तक

नामांकन की दृष्टि से जिले में कुल नामांकन 127535.बालक 78903 बालिकाओं सहित 206438हैं। जिसमें सर्वाधिक नामांकन सवाईमाधोपुर ब्लॉक में तथा खंडार ब्लॉक में सबसे कम नामांकन है। सर्वाधिक बालकों का नामांकन सवाईमाधोपुर ब्लॉक में तथा खंडार ब्लॉक में सबसे कम हैं। बालिकाएं सबसे अधिक गंगापुर ब्लॉक में तथा बामनवास ब्लॉक में है।

2.5 अनामांकित बालकों की सूचना

6–14 आर्यु वर्ग के कुल नामांकन का प्रतिशत देखें तो जिले में 6.39प्रतिशत बालक 23.15 प्रतिशत बालिकाओं सहित कुल 13.67 प्रतिशत बच्चे अनामांकित हैं सबसे अधिक बालक खण्डार ब्लॉक में तथा सबसे अधिक बालिकाएं बोली ब्लॉक में है सबसे कम नामांकन प्रतिशत बालकों का 3.38 प्रतिशत ब्लॉक में है

क.सं.	ब्लॉक का नाम	6 से 14 वर्ष			6 से 14 वर्ष अनामांकित			प्रतिशत अनामांकित 6 से 14		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	सवाईमाधोपुर	29143	22702	51845	1763	7071	8834	6.04	31.14	17.02
2.	गंगापुर	34711	26241	60952	1383	3448	4831	3.98	13.13	7.92
3.	बैली	27458	21535	49011	1666	6264	7930	6.06	29.6	16.18
4.	बमनवास	19482	15606	35088	660	2559	3219	3.38	16.39	9.17
5.	खंडार	19817	14276	34093	2879	3896	6775	14.52	27.29	19.87
	योग	130611	100378	230989	8351	23238	31579	6.39	23.15	13.67

(ब) शुद्ध नामांकन की स्थिति

शुद्ध नामांकन की स्थिति

6–14 आयु वर्ग में शुद्ध नामांकन को देखें तो जिले में इस आयु वर्ग का 206438 शुद्ध नामांकन है। जिनमें 127535 बालकों तथा 78903 बालिकाओं का है। सबसे अधिक शुद्ध नामांकन सवाई माधोपुर ब्लॉक में तथा सबसे कम खण्डार ब्लॉक में है। सबसे अधिक बालकों का शुद्ध नामांकन सवाई माधोपुर ब्लॉक में बालकों का सबसे कम खण्डार ब्लॉक में है। बालिकाओं का सर्वाधिक शुद्ध नामांकन गंगापुर ब्लॉक में तथ। सबसे कम खंडार ब्लॉक में है।

क.सं.	ब्लॉक का नाम	6 से 14		
		B	G	T
1.	सवाईमाधोपुर	34547	19424	53971
2.	गंगापुर	29213	19976	49189
3.	बौली	23970	14546	38516
4.	बामनवास	21142	14470	35612
5.	खंडार	18663	10487	29150
	योग	127535	78903	206438

2.6 सकल नामांकन अनुपात

6–14 आयुवर्ग के सकल नामांकन की दृष्टि से जिले में कक्षा 1 से 8 तक का नामांकन बालकों का 127535 तथा बालिकाओं 78903 का है। कुल नामांकन कक्षा 1 से 8 तक का कुल नामांकन 206438 है। इसका प्रतिशत 89.37है। सवाईमाधोपुर ब्लॉक में नामांकन बालकों का सबसे अधिक तथा बालिकाओं का सबसे कम खंडार ब्लॉक में है। खंडार ब्लॉक में बालकों का नामांकन सबसे कम तथा बालिकाओं का सबसे कम भी खंडार ब्लॉक में है।

क.सं.	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या 6 से 14			नामांकन कक्षा 1 से आठवीं तक			सकल नामांकन अनुपात		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	सवाईमाधोपुर	29143	22702	51845	34547	19424	53971	108	85.56	104
2.	खंडार	19817	14276	34093	16663	10487	29150	84.08	73.45	85.5
3.	बैली	27458	21553	49011	23970	14546	38516	87.29	67.48	78.58
4.	बमनवास	19482	15606	35088	21142	14470	35612	1.08	92.72	101.49
5.	गंगापुर	34711	26241	60952	29213	19976	49189	84.16	76.12	80.7
	योग	130611	100378	230989	127535	78903	206438	97.6	78.6	89.37

2.7 ठहराव दर

(अ) कक्षा 1 से 5 तक

ठहराव दर देखने पर हमें पता चलता है कि जिले में ठहराव दर बालकों की 52.25 बालिकओं की 35.37 तथा कुल ठहराव दर 45.43है।

क.सं.	जिला	नामांकन कक्षा 1 में (1997)			नामांकन कक्षा 5 में (2001)			ठहराव दर		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	सवाईमाधोपुर	55329	25361	80690	105893	71703	177596	52.25	35.37	45.43

(ब) कक्षा 1 से 8 तक

कक्षा 1 से 8वीं तक का नामांकन और ठहराव देखने पर कुल ठहराव देखने पर कुल ठहराव बालकों का 53.00 है तथा बालिकाओं का 24.38 है कुल ठहराव 42.77 है।

क.सं.	जिला	नामांकन कक्षा – 1(1994)			नामांकन आठवीं (2001–02)			ठहराव		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	सवाईमाधोपुर	13815	800	21815	7381	1951	9332	53%	24.38%	42.77%

2.8 पुनरावृत्ति दर

विवरण	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5			कक्षा 6			कक्षा 7			कक्षा 8			योग	
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G
नामांकन 30 सित. 2001	32082	25405	57487	23367	17719	41086	19988	32313	52301	14176	7246	21422	12059	5623	17682	8539	3165	11704	7035	2316	9351	6068	1719	7787	127535	78903

2.9 संक्रमण दर

कक्षा वार संक्रमणदर देखने पर हमें पता चलता है कि कक्षा 1 में 74.04............ कक्षा 2 में 162.41 तीन में 97.92चतुर्थ में 107.84 है।

क.सं.	विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2000–2001 का नामांकन	55485	32202	21877	16396	15119	11942	8286	6724
2.	2001–2002 का नामांकन		41086	52301	21422	17682	11704	9351	7787
	संक्रमण दर		74.04	162.41	97.92	107.84	77.41	78.30	93.97

2.10 अध्यापकों का विवरण

(अ) विद्यालयों के अनुसार

रिक्त पदों की सूचना :–

जिले में कुल अध्यापकों के स्वीकृत पद ...3900...................... हैं। जिसके विरूद्ध 3670.....अध्यापक कार्य कर रहे हैं जबकि ......230............................ पद रिक्त हैं। प्रबन्धनवार रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है :–

विद्यालय	स्वीकृत पद अध्यापक	कार्यरत अध्यापक	रिक्त पद
प्राथमिक विद्यालय	1429	1338	91
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1804	1675	129
राजीव गांधी	505	505	
शिक्षा कर्मी	98	96	2
संस्कृत	64	56	8
योग	3900	3670	230

(स्त्रोत –बी.आर सी एफ जिला सवाई माधोपुर)

2.11 छात्र शिक्षक अनुपात :–

क. सं.		प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			राजीव गांधी		
		नामांकन	कार्यरत अध्यापक	TPR	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	TPR	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	TPR
1.	सवाईमाधोपुर संपूर्ण	74275	1452	51.15	43822	1711	28	1938	505	38
	योग									

(स्त्रोत बी आर सी एफ जिला सवाई माधोपुर)

2.12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करने हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिशंसाओं के आधार पर केन्द्र परिवर्तित योजनान्तर्गत राज्य के 32 जिलों में से 30 जिलों में डाइट की स्थापना की गई हैं। इसी के प्रथम चरण में 1987–88 में डाइट खुली।

यह अपने प्रभावों के माध्यम से विभिन्न कार्यकमों द्वारा शिक्षकों में गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जिसके प्रमुख माध्यम प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं प्रदर्शन संगोष्ठियॉ आदि हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को नवाचारों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं। सा थ ही मूल्यांकन तकनीक प्रश्नपत्र निर्माण शिक्षा के सार्वजनीनकरण शाला संगम, विद्यालयी योजना निर्माण शाला मानचित्रण एवं स्थानीय परिवेशगत सामग्री निर्माण से संबंधित शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। यह शिविर 5 अथवा 3 दिवसीय होते हैं। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा संबंधित कार्यकम किया जाता है। सवाई माधोपुर जिले में वत्रमान में डाइट संचालित नही है करौली डाइट से कार्य संचालित किया जा रहा है।

2.12.1 शैक्षिक प्रोद्योगिकी प्रभाग के कियाकलाप

1. स्थानीय परिवेशगत परिस्थितियों के अनुरूप अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण करना।
2. चार्ट, पोस्टर, स्लाइड्स एवं ओ.एच.पी. ट्रान्सपेरेन्सी (पारदर्शिका) तैयार करना।
3. त्रि–आयामी सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यगोष्ठी आयोजित करना।
4. शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को "शैक्षिक प्रोद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग" संबधी प्रशिक्षण देना।
5. कक्षा–कक्ष में शिक्षण अधिगम को प्रभावी एवं उपयोगी बनानेहेतु विषय वसतु केन्द्रित प्रशिक्षण एवं अभिनवन कार्यकम।

6. आकाशवाणी केन्द्र द्वारा विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम हेतु विभिन्न विषयों के ऑडियो पाठ आलेखन एवं ध्वन्यांकन कराना एवं चयनित आदर्श पाठों के वीडियो कैसेट्स निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

7. शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रदर्शनी लगानी तथा जिले की सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग हेतु उस सामग्री का आदान प्रदान करना।

8. विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

9. विद्यालय स्तरीय पर्यावरण विज्ञान बाल मेले का आयोजन कराना।

10. शैक्षिक प्रोद्योगिकी प्रभाग द्वारा "प्रार्थना सभा कार्यक्रम" का ऑडियो कैसेट तेयार कर जिले के विद्यालयों में वितरित कर प्रार्थना सभा में हुए सुधार का अध्ययन करना।

11. प्रभाग के पास उपलब्ध सभी दृश्य–श्रव्य उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग करना एवं दृश्य–श्रव्य उपकरणों के अनुरूप कक्ष को सुसज्जित करना।

12. जिले के सभी सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण देना।

2.12.3 सत्र 1999–2000 की उपलब्धियां

1. शिक्षा प्रसार अधिकारियों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का "शैक्षिक प्रौद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग संबंधी प्रशिक्षण" आयोजित किया गया।
2. "शैक्षिक प्रौद्योगिकी सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण" दिया गया।
3. न्यून परीक्षा परिणाम वाले विषयाध्यापकों के लिए अभिनवन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
4. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को "पर्यावरण विज्ञान बाल मेला आयोजन" संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

2.13 राजकीय विद्यालयों की भौतिक स्थिति

विद्यालयों की भौतिक स्थिति को देखने पर जिले में ...53.................... भवन रहित विद्यालय हैं 717........................ विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है ...931..... .... विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं हैं .... विद्यालयों में छात्रानुपात में कक्षा कक्ष नहीं है।

विवरण	प्राथमिक			राजीव गांधी			उच्च प्राथमिक			अन्य		
	कुल	सुविधा युक्त	सुविधा विहीन	कुल	सुविधा युक्त	सुविधा विहीन	कुल	सुविधा युक्त	सुविधा विहीन	कुल	सुविधा युक्त	सुविधा विहीन
विद्यालय भवन	560	507	53	394	154	240	229	225	4	55	9	46
पानी की सुविधा	560	268	292	394	121	271	229	122	107	55	6	49
शौचालय सुविधा	560	219	341	394		394	229	76	143	60	7	53

(स्त्रोत बी आर सी एफ सवाई माधोपुर)

2.13.1 राजकीय विद्यालयों में रैम्प्स की सुविधा :

सवाई माधोपुर जिले में सरकारी विद्यालयों में विकलांगों के लिए रैम्पस की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(स्त्रोत बी.ई.ई.ओ. ब्लॉक संबंधित)

2.13.2 राजकीय विद्यालयों में शौचालय की सुविधा

जिले में राजकीय विद्यालयों में शौचालयों की सुविधा कम है जबकि राजीव गांधी पाठशालाओं में उपलबध नहीं है । विद्यालयों में शौचालयों की सुविधा है जबकि 302 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा है। 931 विद्यालयों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला में यह सुविधा उपलब्ध नही हैं जबकि कुछ ही प्राथमिक विद्यालयों में यह सुविधा है।

2.13.3 राजकीय विद्यालयों में पानी की सुविधा

सवाई माधोपुर जिले के राजकीय विद्यालयों में से 268 प्राथमिक विद्यालयों में 122 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 121 राजीव गांधी पाठशालाओं में एवं 6 अन्य विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा है शेष विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है । इनमें 709 विद्यालयों में हैण्डपम्प तथा 30 विद्यालयों में पी.एच.डी कनेक्शन की आवश्यकता है ।

2.13.4 राजकीय विद्यालयों में कमरों की स्थिति

जिलें में 560 प्राथमिक विद्यालयो में से 20 एक कमरा वाले 313 दो कमरे वाले 92 तीन कमरा वाले 56 चार कमरा वाले 32 कमरे वाले और 15 पांच से अधिक कमरे वाले है । 229 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक कमरे वाले दो दो कमरे वाले 10, 3 कमरे वाले 14, 4 कमरे वाले 63, 5 कमरे वाले 53 व 5 से अधिक वाले 83 हैं । 394 रागा. पा. में 218 पाठशालायें 2 कक्षा कक्ष की 55 अन्य विद्यालयों में 9 दो कक्षा कक्ष वाले हैं ।

(स्त्रोत बी.ई.ई.ओ. ब्लॉक संबंधित)

2.13.5 आयु के अनुसार नामांकन की स्थिति

यदि हम आयु के अनुसार नामांकन की स्थिति देखें तो स्पष्ट है कि 11 से 14 व 14 से अधिक में बालकों की संख्या कम है।

उम्र	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8तक			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6 साल से कम	2588	1366	3954				2588	1366	3954
6 से 10 तक	103305	70337	173642				103305	70337	173642
11 से 14 तक				21642	7200	28842	21642	7200	28842
14 साल से अधिक									
योग							127535	78903	206438

2.14 प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढ़ांचा

जिले में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक दायित्व जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन जिले स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) होता है। जिसको पूर्व में पद नाम जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) था।

जिले के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रशासनिक दायित्व का सीधा–सीधा कार्यभार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा का है। जिले में कार्यरत समस्त अध्यापकों राजीव गांधी पाठशालाओं के शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मियों के चयन, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण आदि के कार्य भी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के माध्यम से ही सम्पन्न किये जाते है।

जिले की समस्त राजकीय व मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देख–रेख का कार्य, नामांकन, ठहराव, शिक्षा में गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करने का कार्य भी किया जाता है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि. के अधीन कार्यालय में शैक्षिक व प्रशासनिक सम्बलन हेतु अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी होता है। इसके अधीन अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी व मन्त्रालयिक स्टॉफ होता है।

ब्लॉक की समस्त प्रकार की विद्यालयों की देखरेख निरीक्षण सम्बलन आदि का दायित्व BEEO ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का होता है। ब्लॉक में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता आदि का कार्य भी BEEO द्वारा किया जाता है।

प्रत्येक विद्यालय की उचित व समय पर प्रशासनिक व शैक्षिक सम्बलन प्राप्त हो सके इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उ.प्रा.वि. को नॉडल केन्द्र बनाया गया है। जिससे सूचनाओं का सम्प्रेषण, संकलन एवं पर्यवेक्षण आदि का कार्य सुचारु रुप से संचालित होता रहता है।

2.15 अन्य योजनायें

जिले में शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं :–

इसके अन्तर्गत चयनित शहरों में शिक्षा से वंचित वार्ड के शाला जाने योग्य सभी बालक बालिकाओं के ठहराव युक्त नामांकन को सुनिश्चित करना

- शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित आनन्दमयी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना।

– वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

– शिक्षा में जनसहभागिता को सुनिश्चित करना।

– बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना।

– समाज की मांग एवं आवश्यकतानुरूप लचीलापन प्रदान करना।

– SC/ST, समाज के कठिन समूह के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना, विशेषतया बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन

2.15.1 राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम :

कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु प्राथमिक शिक्षाको सम्बल प्रदानकरने के लिए भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से रा.पा.स.का. के कियान्वयन की घोषणा की गई जिसमें उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन वृद्धि करना विद्यार्थियों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना तथा बालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम गेहूं की घूघरी का वितरणविद्यालय में ही तैयार करवा कर बच्चों को विश्राम समय में वितरित करना है। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यकम की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित है। शाला स्तर पर सरपंच, वार्ड पंच, महिला वार्ड पंच, एच.एम., अभिभावक 2 , ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव की एक समिति का गठन किया गया है।

2.15.2 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विस्तार योजना :

आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विस्तार कार्यकम वर्ष 1996–97 से प्रारंभ किया गया, जिसके प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत 1927 विद्यालयों को 857.30 लाख रू. की पठन पाठन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दरी पट्टियॉं, बाल साहित्य एवं फर्नीचर आदि शिक्षण सामग्री राजकीय उपकमों के माध्यम से कय कर उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वर्ष 2000–2001 में योजनान्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवान हेतु 40 हजार रू. प्रति विद्यालय की दर से की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है। उक्त राशि से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति शाला 10 हजार रूपये की दरी पट्टियॉं, 20 हजार रू. का स्टील फर्नीचर व 3 हजार रू. का बाल साहित्य राज्य स्तरीय कय समिति के निर्णयानुसार राजकीय निगम, संघ, खादी बोर्ड

अधिकृत संस्थाओं व भारत सरकार के प्रकाशकों के माध्यम से उक्त विद्यालयों को लाभान्वित करने हेत क्रय कार्यवाही की गई है।

2.15.3 साक्षरता एवं सतत् शिक्षा

निरक्षरता रूपी अभिशाप को मिटाने के उद्देश्य से राज्य के दूरस्थ अंचल में बसे हुए निरक्षर ग्रामीणों को साक्षर एवं जागरूक करेन के लिए साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग सदैव प्रयत्नशील रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के लक्षित उद्देश्यों के अन्तर्गत राज्य में भी वर्ष 1988 में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। वर्ष 1990–91 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के दिशा निर्देशानुसार 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों को सूपंर्ण साक्षरता अभियान द्वारा जीवनोपयोगी साक्षरता कौशल प्रदान करने हेतु साक्षरता संबंधी आवश्यक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15–35 आयु वर्ग के चिन्हित निरक्षरों का व्यवहारिक स्तर की शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से साक्षरता के अपेक्षित स्तर प्रदान करने के साथ–साथ उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित जनचेतना केन्द्रों द्वारा राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, महिला समानता, छोटे परिवारों के लाभ आदि के बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के सहभागिता सुनिश्चित करते हुए साक्षरता अभियान कोजन आंदोलन के रूप में कियान्वित किया जा रहा है।

2.15.4 संपूर्ण साक्षरता अभियान

साक्षरता कार्यक्रम एक समयबद्ध स्वैच्छिकता एवं समर्पण के सिद्धान्त पर आधारित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 3 चरणों में कियान्वित किया जाता है। प्रथम चरण (संपूर्ण साक्षरता) के अन्तर्गत क्षेत्र में सर्वे के उपरान्त पाये गये निरक्षरों में से 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों का नामांकन किया जा कर लगभग 200 घन्टे के समय में तीन तीन पुस्तकों के माध्यम से, जो कि प्रायः स्थानीय भाषा में लिखी होती है, आधारभूत साक्षरता का अपेक्षित ज्ञान कराया जाता है। दूसरे चरण में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के

अन्तर्गत साक्षरता के स्तर को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अनतर्गत नव साक्षरों को अपना साक्षरता कौशल बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने का अवसर मिलता है।इसके साथही जो लोग सूंपण साक्षरता कार्यक्रम में नामांकित नहीं हो सके या बीच में ही साक्षरता कार्यक्रम से अलग हो गये, उन्हें मेपिंगअप कार्यक्रम द्वारा साक्षरता कार्यक्रम से पुनः जोड़ा जाता है। तीसरे चरण में सतत् शिक्षा का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत नवसाक्षरों को निरंतर पढ़ने के अवसर प्रदान किये जाते हैं ताकि वे अपने अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। सतत् शिक्षा कार्यक्रम नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों/सतत् शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाता है।

अध्याय 3
योजना प्रकिया

3.1 भूमिका :–

शैक्षिक कार्यकम एवं समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संचालित किए जा रहे अभियानों को सफल बनाने के लिए आधारभूत स्तर से कौन–कौन से वित्तीय, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान योजना प्रकिया में इस बिन्दु को महत्व दिया गया है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण में आने वाली समस्याएँ एवं उनके निवारण की प्रकिया सतही स्तर से निकल कर आए तो मांग के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने में सुविधा रहेगी।

3.2 जिला आयोजना दल का गठन –

जिले में आयोजना दल का गठन जिला, ब्लाक व ग्राम स्तर पर किया जाना है । जिला स्तरीय आयोजना समिति में प्राचार्य डाइट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) वरिष्ठ व्याख्याता डाइट (दो) ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी, शिक्षा कर्मी सहयोगी, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त शिक्षा विद्, सहायक परियोजना समन्वयक (ओ.शि.) एवं जिला परियोजना समन्वयक सदस्य होंगे ।

ब्लाक स्तर की समिति में प्रधान, सरपंच, महिला सदस्य (दो), जिला परिष्द सदस्य पुरुष एवं महिला एक–एक पंचायत समिति सदस्य पुरुष एवं महिला, क्षेत्र के शिक्षा विद्, महिला प्रेरक, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि, विकास अधिकारी, प्राचार्य उ.मा.वि., प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी, प्रचेता, ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, सदस्य रहेंगे ।

ग्राम स्तरीय समिति में सरपंच/वार्डपंच, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, सेवानिवृत्त कार्मिक, आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, यूथ क्लब प्रतिनिधि, अभिभावक पुरुष एवं महिला एक–एक, जागरुक महिला तथा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसके सदस्य होंगे ।

3.2 योजना समितियों का गठन –

(अ) जिला शिक्षा समिति –

कार्यः–

- ❖ ऐसे गांव, वासस्थान, ढाणी की पहचान करना जहॉ विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं ।
- ❖ समुदाय के सहयोग से स्कूलों की मरम्मत एवं सुन्दरीकरण को सुनिश्चित करना ।
- ❖ स्कूल भवन सुविधाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करना ।
- ❖ अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों में पैराटीचर्स की व्यवस्था करना ।
- ❖ प्रशिक्षणों के माध्यम से शैक्षिक उन्नयन को मजबूती प्रदान करना ।

आनन्ददायी एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना ।

जिला शिक्षा समिति के सदस्य –

❖ ❖ जिला प्रमुख	अध्यक्ष
❖ ❖ सांसद	सदस्य
❖ ❖ विधायक (समस्त विधान सभा क्षेत्र)	सदस्य
❖ ❖ जिला कलेक्टर	सदस्य

- ❖ ❖ अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास) — सदस्य
- ❖ ❖ अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) — सदस्य
- ❖ ❖ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी — सदस्य
- ❖ ❖ प्राचार्य (डाइट) — सदस्य
- ❖ ❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) सदस्य
- ❖ ❖ सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा — सदस्य
- ❖ ❖ अधिशासी अभियंता (पी.एच.ई.डी.) — सदस्य
- ❖ ❖ अधिशासी अभियंता (पी.डब्ल्यू.डी.) — सदस्य
- ❖ ❖ समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य
- ❖ ❖ जन सम्पर्क अधिकारी — सदस्य
- ❖ ❖ परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.) — सदस्य
- ❖ ❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) सदस्य
- ❖ ❖ विकास अधिकारी समस्त — सदस्य
- ❖ ❖ अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.) — सदस्य
- ❖ ❖ ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी — सदस्य
- ❖ ❖ संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी — सदस्य
- ❖ ❖ शिक्षाकर्मी सहयोगी — सदस्य
- ❖ ❖ गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि — सदस्य
- ❖ ❖ शिक्षक संघ प्रतिनिधि — सदस्य
- ❖ ❖ यूथ क्लब प्रतिनिधि — सदस्य
- ❖ ❖ सहायक परियोजना समन्वयक (औ.शि.) — सदस्य
- ❖ ❖ जिला परियोजना समन्वयक — सदस्य सचिव

- ❖ यूथ क्लब प्रतिनिधि — सदस्य
- ❖ अभिभावक पुरुष — सदस्य
- ❖ अभिभावक महिला — सदस्य
- ❖ प्रधानाध्यापक (सम्बन्धित विद्यालय) — सदस्य सचिव

ब्लाक शिक्षा समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति अपने पंचायत समिति क्षेत्र एवं ग्राम स्तर पर शिक्षा में सुधार हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करेंगे –

- ❖ नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार आबादी और दूरी के अनुपात में प्रावधान के अनुसार शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने का प्रयास करना।
- ❖ प्राथमिक स्कूल में 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का नामांकन करवाना।
- ❖ स्कूल में अध्यापकों एवं बच्चों की उपस्थिति और समय पालन का अनुश्रवण करना ।
- ❖ ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति की नियमित बैठकें आयोजित करना ।
- ❖ विद्यालयों को आधार भूत सुविधाएं मुहैया करवाना ।
- ❖ स्कूल में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था करवाना ।
- ❖ उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय व्यवस्था उपलब्ध करवाना ।
- ❖ अतिरिक्त पैराटीचर की आवश्यकता का आकलन करना ।
- ❖ शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अपने स्तर से परे समाधान करवाना ।

(ब) ब्लॉक शिक्षा समिति – (बीई.सी.)

❖ ❖ प्रधान पंचायत समिति	अध्यक्ष
❖ ❖ सरपंच (पुरुष)	सदस्य
❖ ❖ सरपंच (दो महिला)	सदस्य
❖ ❖ जिला परिषद सदस्य (एक पुरुष एक महिला)	सदस्य
❖ ❖ पंचायत समिति सदस्य (एक पुरुष एक महिला)	सदस्य
❖ ❖ शिक्षाविद्	सदस्य
❖ ❖ अल्पसंख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
❖ ❖ उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
❖ ❖ बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
❖ ❖ चिकित्सा अधिकारी	रादस्य
❖ ❖ प्रचेता	सदस्य
❖ ❖ शिक्षा प्रसार अधिकारी	सदस्य
❖ ❖ अतिरिक्त विकास अधिकारी	सदस्य
❖ ❖ ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

(स) विद्यालय प्रबन्धन समिति –

❖ ❖ सरपंच / वार्ड पंच	अध्यक्ष
❖ ❖ अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	सदस्य
❖ ❖ अनुसूचित जन जाति प्रतिनिधि	सदस्य
❖ ❖ अल्पसंख्यक /ओ.बी.सी. प्रतिनिधि	सदस्य
❖ ❖ महिला एक्टिविस्ट	सदस्य
❖ ❖ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
❖ ❖ सेवानिवृत्त शिक्षक / कार्मिक	सदस्य

(द) आयोजना कोर टीम

कोर टीम की रचना –

कोर टीम में सर्वशिक्षा अभियान के सम्भावित योजना बनाने के लिए जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक के नेतृत्व में कोर टीम का गठन किया गया है।

आयोजना कोर टीम के सदस्य के सदस्य

1. श्रीमती पुष्पा नामा, जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी.,स0मा0
2. श्री सैयद सगीर अली, कार्यक्रम सहायक, डीपीईपी,सवाई माधोपुर
3. श्री संतोष कुमार सोनी, संदर्भ व्यक्ति, खण्ड संदर्भ केन्द्र, गंगापुरसिटी ।
4. श्री पवन जैन, सन्दर्भ व्यक्ति, खण्ड सन्दर्भ केन्द्र, सवाईमाधोपुर।

१ १

3.3 विभिन्न स्तरों (ग्राम, खण्ड एवं जिला स्तर) पर आयोजित बैठकें –

जिले में ग्राम पंचायत स्तर, संकुल स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर बैठके आयोजित कर शिक्षा के सार्वजनिकरण में आ रही समस्याओं एवं मुद्दो पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित की गई है । बैठकों के दौरान समस्त संभगियों द्वारा प्राप्त सुचनाओं एवं सुझावों के अनुरूप सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाने में सहायक सिद्ध हुई है।

- दूरस्थ एवं पहुॅच से परे स्थलों पर मापदण्ड से परे हट कर शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना ।
- सभी बालकों को विद्यालय में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना ।
- स्थानीय प्रशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा देने की जिम्मेदारी प्रदान कराना ।

- ❖❖ विद्यालयों में भौतिक सुविधा उच्च स्तर पर उपलब्ध करवाना ।
- ❖❖ विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों में चारदीवारी निर्माण एवं बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय निर्माण को प्रमुखता से उभारा जाना ।
- ❖❖ बालमेलों एवं कला जत्थों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर वातावरण निर्माण कर सकारात्मक सोच पैदा करना ।
- ❖❖ गरीब एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के बच्चों को विशेष राशि छात्रवृत्ति के रुप में दिया जाना ।

ग्राम, संकुल, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर समस्यात्मक बिन्दुओं की पहचान हेतु आयोजित बैठकें

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	संभागियों की सं	संभागियों का विवरण	चर्चित बिन्दु	प्राप्त सुझाव
1.	17.08.02	थमत्रपुरा (बौंली)	26	ग्रामवासी कार्मिक, मनोनीत जिला स्तरीय प्रतिनिधि	सर्व शिक्षा अभियान पर चर्चा, नामांकन,ठहराव,भवन संबंधी आवश्यकता	दूरस्थ एवं पहुँच से परे स्थानों पर शिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ करना/भवन निर्माण,मरम्मत, पेयजलएवं शौचालय व्यवस्था
2.	19.08.02	घोघुपुरा (गंगापुरसीटी)	४५	जिला स्तरीय समिति के सदस्य एवं विशेष आमंत्रित एस.एम.सी. सदस्य सदस्य	नमांकन,ठहराव,भवन संबंधी आवश्यकता	दूरस्थ एवं पहुँच से परे स्थानों पर शिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ करना/भवन निर्माण,मरम्मत,पेयजलएवं शौचालय व्यवस्था।जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
3.	17.08.02	सवाई माधोपुर खण्ड कार्यालय	३२	समस्त ब्लॉक शिक्षा समिति के सदस्य	नमांकन,ठहराव,भवन संबंधी आवश्यकता	ब्लाक स्तरीय समूह के सदस्यों को ग्राम पंचायतवार जिम्मेदारी सौंपना। प्र.अ. द्वारा ग्रा.प. एवं विद्यालय स्तर पर बैठकों का आयोजन करना। ब्लॉक स्तर पर समीक्षा एवं नियोजन करना एवं गतिविधियों से अवगत कराना।
4.	24.08.02	खिरनी	२९	जनप्रतिनिधि,एस.एम.सी. के सदस्य	नमांकन,ठहराव,भवन एवं विकलांग बालकों से संबंधी	दूरस्थ एवं पहुँच से परे स्थानों पर शिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ करना/भवन

					आवश्यकता	निर्माण,मरम्मत,पेयजलएवं शौचालय व्यवस्था
5	07.09. 02	जिला परिषद सभागार	४७	जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य. /प्रा.शि.) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा समिति सदस्य, प्रधान	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य,आवश्यकता एवं प्राप्त सुझावों पर चर्चा	सर्व शिक्षा अभियान की निचले स्तर से प्रदत्त समस्याओं एवं आवश्यकताओं का आकलन करना तथा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर चर्चा । जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

3.5 (अ) शिक्षा आपके द्वार –

शिक्षा आपके द्वार अभियान का शुभारम्भ 19 नवम्बर 2001 को स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गॉधी के जन्म दिवस पर विशेष रुप से आयोजित ग्राम सभाओं के माध्यम से हुआ । इन ग्राम सभाओं में वंचित वर्ग से सम्बन्धित शैक्षिक समस्याओं पर भी चर्चा की गई ।

राज्य में शिक्षा की वस्तु स्थिति का सही आंकलन करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 का प्रारम्भ किया गया। जिला स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में 5 बैठको का आयोजन किया गया जिनमें सम्पूर्ण जिले की अभियान की समीक्षा एवं आगे की योजना बनाई गई । खण्ड स्तर पर 20, ग्राम पंचायत स्तर पर 518,ग्राम स्तर पर 1074, एवं नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड स्तरीय 225 बैठकों का आयोजन किया गया है। जिला प्रभारी सचिव श्री जी.एस. संधू, शासन सचिव (राजस्व) ने समय–समय पर अनुश्रवण व मार्गदर्शन प्रदान किया। वास स्थान वार, ग्राम पंचायत वार, खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर प्रपत्रों का निर्माण कर सूक्ष्म नियोजन किया गया। जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों के सघन प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा आपके द्वार से संबंधित समस्त सूचनाएँ अपडेट की गई। जिले में कुल अनामांकित 30048 ग्रामीण क्षेत्र में अनामांकित बच्चे चिन्हित किए गए, जो निम्न कारणों से शिक्षा से नहीं जुड पाएः–

कम सं.	कारण	६–14 आयुवर्ग के अनामांकित बच्चे			
		बलक	बलिका	योग	प्रतिशत
१	खेती,मजदूरी,जानवर, चराना,भाई–बहिनों की देखभाल जैसे घरेलू कार्य ।	5932	17627	23559	78.52
२	परिवार घूमन्तू होना/मौसमी पलायन	275	638	913	3.03
३	परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति	339	751	1090	3.62
४	शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव	140	228	368	1.22
५	सामाजिक सोच जिसके कारण माता–पिता लडकियों के प्रति उदासीन हैं।	129	1150	1279	4.25
६	विकलांगता	145	131	276	0.92
७	बालक–बालिकाओं की लम्बी बीमारी के कारण	96	115	211	0.70
८	बालक–बालिका कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुका है और आगे पढाई करना छोड दिया है	639	1713	2352	7.83
	कुल	7695	22353	30048	

शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 द्वारा ग्रामीण परिवेश के वंचित बालक/बालिकाओं और शिक्षा दर्पण सर्वे (शहरी) 2002 के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाकर अमल में लायी गई है जिसके परिणाम स्वरुप ग्रामीण एवं शहरी औपचारिक संस्थाओं में नामांकन में बेतहाशा वृद्धि हुई है । औपचारिक शिक्षा से नहीं जुड़ पाये बालक/बालिकाओं हेतु वैकल्पिक विद्यालय, शिक्षा मित्र केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स प्रभावी ढंग से लागू किये जा रहे है जिनका परिणाम सुखद है । इसी अभियान के अन्तर्गत दिनांक 22 से 28 फरवरी 2002 तक प्रतिदिन बाल–फिल्मों का प्रदर्शन किया

गया । इस उत्सव में बच्चों को नि:शुल्क बाल–फिल्में दिखाई गई । फिल्मों के दौरान डी.पी.ई.पी. द्वारा बालकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई ।

(ब) प्रशासन गांव/शहरों के संग —

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 के अन्तिम तिमाही एवं वर्ष 2002 के प्रारम्भ में गांव एवं शहरों में प्रशासन गांव/शहरों के संग अभियान का प्रभावी कियान्वयन शुरु किया गया । इन अभियानों में गांवों एवं शहरों की विभिन्न समस्याएं उभर कर आयीं जिनमें शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएं प्रमुख थीं । यहॉ अभियान के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों का पता चला जो शिक्षा व्यवस्था से दूर थे तथा भवन एवं मरम्मत संबंधी प्रस्ताव अभियान के दौरान सामने आए साथ मे जिन विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था,कक्षा–कक्षों की व्यवस्था, चाहर दीवारी, शौचालय, पेचजल व्यवस्था, 6घण्टे, 4घण्टे वैकल्पिक विद्यालय, शिक्षामित्र केन्द्रों के विषय में आवश्यकताएँ संकलित की गई । शहरों में वंचित वर्ग को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के उद्देश्य से राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं का श्री गणेश हुआ । इस अभियान में उन विद्यालयों में भी अध्यापक प्रतिनियुक्त किये गये जहॉ के छात्रानुपात में आवश्यकता थी । ग्रामीण अंचल की विभिन्न समस्याओं का उपखण्ड अधिकारी/शिविर प्रभारी द्वारा मौके पर निराकरण किया गया जो जनता को विशेष राहत देने वाला साबित हुआ । अपने वंचित क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र विशेष रुप से लाभान्वित हुए ।

3.5 सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन — सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन पर एक दृष्टि डाले तो जिले की निम्न स्थिति उभरकर सामन आती है–

- सवाई माधोपुर जिले में प्रति एक हजार पुरुषों में महिलाओं का अनुपात 871 है, जो जेण्डर असमानता दर्शाता है ।
- गंगापुर पंचायत समिति की साक्षरता दर सर्वाधिक और खण्डार की न्यूनतम पायी गई है।

- ❖ अनुसूचित जाति/ जनजातियों का नामांकन प्रतिशत बहुत कम है ।
- ❖ बालिका नामांकन की दर विगत 5 वर्षो में 10 प्रतिशत बढ़ी है ।
- ❖ शहरी क्षेत्रो के उ.प्रा.वि. में ग्रामीण क्षेत्रों की विद्यालयों की अपेक्षा अधिक अध्यापक हैं।
- ❖ प्राथमिक विद्यालयों में पंचायत समिति विद्यालयों का बहुमत तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयो में शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों का बहुमत है ।
- ❖ विद्यार्थियेां की उपलब्धि में लगातार कमी हो रही है ।
- ❖ 'ड्र ाप आउट' की समस्या प्रमुख समस्या है ।

बड़ी संख्या में विद्यालयो में आधार भूत सुविधाओं जैसे पीने के पानी एवं शौचालय की कमियॉ हैं।

3.6 आधार भूत सर्वेक्षण (बेस लाइन सर्वे)

जिले में **बेस लाईन सर्वे** का कार्य मार्च 2000 में एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु किया गया । सर्वे से विद्यार्थियों की कमियों, लैंगिक भेद–भाव, भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं की कमी, सामाजिक समूहों में तालमेल का अभाव आदि बिन्दुओं पर विचार उभर कर आये । इनमें सर्वेक्षण में विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि में सर्वे किया गया ।

- ➢ **विभिन्न समूहों के कक्षा द्वितीय एवं चतुर्थ में भाषा एवं गणित की उपलब्धियॉ –**

  - कक्षा 2 व कक्षा 4 के विद्यार्थियों का भाषा एवं गणित विषयों में परीक्षण लिया गया।
  - ❖ कक्षा 2 के लड़कों ने लड़कियों की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किय
  - ❖ शहरी क्षेत्र की तुलना में कक्षा 2 में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की उपलब्धि

अच्छी पाई गई।

❖ कक्षा 2 के अनु.जाति एवं जन जाति के बच्चों का प्रदर्शन समग्र जन संख्या के बच्चों की अपेक्षा अच्छा पाया गया ।

❖ कक्षा 5 के विद्यार्थियों की भाषा के क्षेत्र में उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में अच्छी पायी गयी । परन्तु जैण्डर वाइज एवं श्रेणी वाइज उपलब्ध न्यून पायी गयी ।

❖ कक्षा 5 के विद्यार्थियों में गणित विषय क्षेत्र की उपलब्धि मे शहरी एव ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में विशेष अन्तर नहीं पाया गया ।

❖ अनु. जाति व जन जाति की बालिकाओं में भी गणित विषय में कक्षा 5 में विशेष ध्यान देने योग्य अन्तर नहीं मिला ।

➢ ➢ **आधार भूत सर्वेक्षण द्वारा सुझाये गये मुख्य बिन्दु –**

❖ ❖ **प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों हेतु अभिनव कार्यक्रम ।**

❖ ❖ **आवश्यक 'शिक्षक अधिगम सामग्री' उपलब्ध करवाना ।**

❖ ❖ **विद्यार्थियों को पीने के पानी, शौचालय/मूत्रालय की सुविधा एवं बैठने हेतु दरी पट्टी उपलब्ध करवाना ।**

❖ ❖ **सेवारत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयेाजन डाइट, बी.आर.सी., सी.आर.सी. के सहयोग से आयोजित करना ।**

❖ ❖ **ग्राम स्तरीय समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति को सक्रिय करना एवं समुदाय की जपयहभागिता सुनिश्चित करना ।**

3.7 वंचित वर्ग की पहचान, अन्वेषण एवं समस्याएं –

ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि हैं । शहरी जनसंख्या विशेष तौर से व्यापार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों से जुड़ी हुई है। जिलें की

लगभग 25 प्रतिशत आबादी श्रमिक वर्ग की थी तथा गॉवों में महिलाये घरेलु कार्यो से जुड़ी हुई है। श्रमिक एवं कृषक संवर्ग के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत कम जागरूक है।

इस वर्ग के बच्चें की पहचान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है । ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से वंचित घुमन्तु परिवारों, भूमिहीन मजदूरों, खनन मजदूरों, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवारेां में पाये जाते हैं । शहरी क्षेत्रों में भी यह वर्ग चाय की दुकानों, चिथड़े उठाते, कच्ची बस्तियों, उद्योग धन्धों, गृहकार्यों, कम आय वर्ग के माता–पिताओं के लिए मजदूरी कर ,आय में वृद्धि करते हुए पाये जाते है।

(अ) पहुॅच एवं नामांकन –

अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता न होने से वे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश व शिक्षा से जोड़ने में रूचि नहीं रखते है । इस समस्या का गॉवों में विशेष रूप से सामना करना पड़ता है । ऐसी स्थिति के लिए निम्नलिखित बिन्दु दर्शनीय हैं –

❖ ❖ शिक्षा की अनुपयोगिता –

अभिभावकों में आज भी ऐसी भ्रांतिपूर्ण धारणा बनी हुई है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी युवक–युवतियों को नौकरी के लिये दर–दर भटकना पड़ता है, तथा उन्हें मनचाही नौकरी हासिल नहीं हो पाती है । इस भ्रांतिपूर्ण विचारधारा के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में हिचकिचाते हैं । जबकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नौकरी न होकर बच्चों को शिक्षित बनाना और सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु जागरुक करना है ।

❖ ❖ विद्यालयों में सुविधाओं की कमी –

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ....
Date ....

जिले के बहुत से विद्यालय आज भी भवन विहीन है तथा कुछ विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे है । अधिकांश विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण अभाव है । वर्षा ऋतु में विद्यालय भवनों में पानी टपकता है तथा कुछ विद्यालयों में खिड़की व दरवाजे नहीं हैं । विद्यालय का यह अनार्कषक वातावरण बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव छोड़ता है और उनके मानस में नीरसता पनपती है ।

❖ ❖ शिक्षकों की उदासीनता –

विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अरूचि और उदासीनता भी बच्चों को विद्यालय आने के लिये प्रोत्साहन में कमी करते हैं । विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी शिक्षक उदासीनता के कारण नहीं आने वालों की श्रेणी को प्राप्त कर जाते हैं अर्थात् उपस्थित होने पर भी उन्हें ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है ।

❖ ❖ मवेशी चराना –

जिले में कुछ जातियों के 6–11 आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे दिन में अपने पालतू मवेशियों का चराने का कार्य करते है । उनके अभिभावक भी उन्हें शिक्षा न दिलवाकर पशु चराने हेतु प्रेरित करते हैं । उनकी ऐसी भावना शिक्षा के प्रति उदासीनता का द्योतक है ।

❖ ❖ घरेलू कार्य –

जिले में अधिकतर बालिकाएं अपने अभिभावकों की इच्छा के अनुसार घरेलू कार्य में माता–पिता की सहायकता करते है इस कारण शिक्षा से नहीं जुड पाती ।

❖ ❖ गरीबी –

अभिभावकों की गरीबी भी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रखने का एक प्रमुख कारण कही जा सकती है क्योंकि हमारी प्राथमिक

शिक्षा व्यवस्था आर्थिक रुप से बोझिल नहीं हैं । परन्तु फिर भी ग्रामीण अपने बालक–बालिकाओं को शिक्षा दिलवाने में असमर्थता का कारण अपनी गरीबी प्रकट करते हैं ।

❖ ❖ लिंग संवेदनशीलता –

हमारे समाज में बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है । क्योंकि उन्हें पराया धन और धरोहर के साथ–साथ पड़ोसी के पोधे को पानी देने के समान समझा जाता है । अतः बालिका को बालक की अपेक्षा परिवार में कम महत्व दिया जाता है तथा बालिका शिक्षा पर किये गये व्यय को व्यर्थ माना जाता है ।

❖ ❖ बाल विवाह –

कुछ समुदायों मे बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है जिसके कारण 6–11 वर्ष के बालक बालिका शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं । ये अज्ञानी, अशिक्षित और रुढ़िवादी जातियां शिक्षा के महत्त्व को नहीं समझ पाती हैं जिसके कारण छोटी उम्र में बालक/बालिकाओं का विवाह कर शिक्षा जैसे पवित्र कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं ।

❖ ❖ शिक्षण संस्थाओं का अभाव –

जिले के कुछ दूरदराज के वास स्थानों,ढाणियों एवं मजरों में आज भी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तथा वर्षा ऋतु में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिये पड़ौसी गॉवों में जाना पड़ता है जिससे ठहराव और नामांकन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा एक किलोमीटर की परिधि में वास स्थानों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है फिर भी सवाई माधोपुर जिले के डांग क्षेत्र खण्डार तहसील में विद्यालय विहीन स्थानों पर शिक्षा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ।

❖ ❖ ठहराव –

नमांकन के उपरान्त बालक–बालिकाएँ विद्यालयों में पेयजल,शौचालय,भौतिक स्थिति के मध्यनजर कमी को देखते हुए नियमित उपस्थित नहीं हो पाते, जिसके कारण गुणवत्ता प्राप्ति में भी उचित संतोषजनक स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते ।

❖ ❖ शिक्षा की गुणवत्ता –

- ➢ ➢ अध्यापक द्वारा रूचि नहीं लेना ।
- ➢ ➢ अनाकर्षक पुस्तकें ।
- ➢ ➢ लिंग भेद, जात पात तथा धर्म के प्रति संवेदनशीलता ।
- ➢ ➢ शिक्षकों के अभिनवन प्रशिक्षणों का अभाव ।
- ➢ ➢ उचित परिवीक्षण का अभाव ।
- ➢ ➢ बोझिल एवं उबाऊ पाठ्यक्रम ।
- ➢ ➢ अनाकर्षक शिक्षण विधियां ।

द अद अद अद अद अद

अध्याय –4

4.1 सर्व शिक्षा अभियान – उद्देश्य एवं लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकण के लिए विद्यालयी व्यवस्था में सामाजिक सहभागिता का एक प्रयास है । सम्पूर्ण देश में गुणवत्ता पूर्ण आधारभूत शिक्षा की मांग इसका आधार है । सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम सभी बालकों को समुदाय आधारित गुणात्मक शिक्षा की मिशन भावना का पक्षधर है । जिसके द्वारा मानवीय क्षमताओं को उभारने का अवसर प्रदान किया जाता है ।

4.2`सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम ।

सम्पूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण एवं आधारभूत शिक्षा की मांग की आपूर्ति ।

आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना ।

पंचायतीराज संस्थाओं, विद्यालय प्रबन्धन समितियों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की शिक्षा समितियों, अभिभावक शिक्षक परिषद्, माता–शिक्षिका, समितियों, जनजातीय स्वायत्तशासी परिषदों एवं अन्य आधारभूत स्तरीय रचनाओं में प्रबन्धन की प्रभावी भागीदारी का प्रयास ।

सम्पूर्ण देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राजनैतिक इच्छाशक्ति को बढ़ावा देना ।

केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय ासन के मध्य भागीदारी को विकसित करना ।

राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में अपना स्वयं का दृ टकोण रखने का अवसर प्रदान करना ।

4.3 सर्वशिक्षा अभियान क्यों ?

सर्वशिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को उपयोगी एवं आधारभूत प्रारम्भिक शिक्षा सन 2010 तक उपलब्ध करवाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम है । इसका अन्य उद्देश्य विद्यालय प्रबन्धन समितियेां के माध्यम से जनसमुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंगभेद हेतु सेतु का कार्य करना है ।

शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावी उपयोगिता एवं सार्थकता जनसहयेाग के बिना अधूरी है । शिक्षा का उद्देश्य बालकों को सिखाना ही नहीं अपितु आध्यात्मिक एवं भोतिक रुप से समाज एवं वातावरण के अनुकूल ढालना भी है । शिक्षा के माध्यम से बालकों में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना जागृत करना भी इस अभियान का लक्ष्य है ताकि बालक व्यक्तिगत हितों को त्यागकर 'सर्वेभवन्तुसुखिनः, सर्वेसन्तु निरामया' की और अग्रसर हो सके ।

सर्वशिक्षा अभियान बाल्यकाल के महत्त्व को समझकर 0–14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक के रख–रखाव (लालन–पालन) के महत्त्व को अनुभव कराता है । एकीकृत बाल विकास सेवा एवं गैर एकीकृत बाल विकास सेवा के संयुक्त प्रयास पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महत्त्वपूर्ण कदम है । महिला एवं बाल विकास विभाग भी इस और पूर्णरुप से अग्रसर है ।

4.4 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य –

2003 तक समस्त बालक एवं बालिकाओं को विद्यालय, शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों से जोड़ना ।

2007 तक समस्त बालकों को पॉच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करवाना ।

2010 तक समस्त बालकों को आठ वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवाना ।

जीवनोपयोगी गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा पर बल देना ।

2007 तक प्राथमिक स्तर पर जैण्डर एवं सामाजिक श्रेणियों के अन्तराल को दूर करना एवं 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करना ।

2010 तक सार्वभौमिक (शत् प्रतिशत) ठहराव कायम करना

4.5 जिला स्तर पर निर्धारित लक्ष्य :-

1. वर्ष 2003 तक जिले के सभी विकास खण्ड़ो तथा नगर क्षैत्र के सभी वार्ड़ो के 6-14 आयु वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं की निकटवर्ती, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, वैकल्पिक विद्यालय अथवा ग्रीष्मकालीन शिविर में प्रवेश दिलाना।

2. सामान्य बच्चों के अतिरिक्त विशेष वर्ग के शिक्षार्थियों यथा-बालिकाये, दलितवर्ग के बालक/बालिकायें शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता के शिकार बालक/बालिकायें, बालश्रमिक, फुटपाथी, घुमन्तु, कचरा उठाने वाले बच्चे व भिखारियों के बच्चे कुष्ट रोगियों के बच्चो के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।

3. औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा सं किन्ही करणों से वंचित बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा इन्हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर मुख्य धारा में लाना।

4. ग्रामीण क्षैत्र में स्कुल न जाने वाली तथा शाला-त्यागी बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।

5. विद्यालयों में पर्याप्त शैक्षिक सुविधायें यथा-शिक्षण कार्य हेतु न्युनतम कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा व चारदिवारी का निर्माण कराना।

6. शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त जीवनोपयोगी शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकताओं व संस्थानों के सापेक्ष्य में व्यावसाखिक प्रशिक्षण की सुविधा।

7. शिक्षा की उपयोगिता, गुणवत्ता व आकर्षण में वृद्धि हंतु पर्याप्त भौक्षिक उपस्करों (इक्विपमेन्ट) के साथ-साथ शिक्षको के बौद्धिक स्तर एवं व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु आव यक प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण प्रदान करना।

8. विद्यालयों के प्रबन्धन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वास–स्थान से योजना बनाई गई है। सवाई माधोपुर जिले में कुल 1163 वासस्थान है जिनमें सवाई माधोपुर खण्ड में 288 , बौली खण्ड में 180, खण्डार खण्ड में 219, गंगापुरसिटी खण्ड में 245 एवं बामनवास खण्ड में 291 है। सवाई माधोपुर जिले में 1163 वासस्थानों में से 25 वासस्थानो में प्राथमिक शालाओं की आवश्यकता का आकलन किया गया है।

क्र. स.	वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–
1	6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकायें	230989	237318	243821	250501	257365	264417	271662	279105	2867
2	नामांकन	205946	236562	243821	250501	257365	264417	271662	279105	2867
3	गैर राजकीय विद्यालयों में नामांकन	66003	75700	78023	80160	82357	84613	86932	89314	917
4	वैकल्पिक शिक्षा में नामांकन		36164	19444	16124	12764	9404			
5	राजकीय विद्यालय में नामांकन	120605	134698	146354	154217	162244	170399	184730	189792	1949
6	1:40 में अध्यापकों की आवश्यकता		3367	3659	3855	4056	4260	4618	4745	487
7	कार्यरत अध्यापकों की संख्या		4133	3940	3952	4257	4464	4976		
8	अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता			291	197	201	204	358		
9	राजकीय विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि		16070	11656	7863	8027	8155	14331	5062	520
10	कक्षा कक्षों की आवश्यकता		389	291	197	201	204	358		

गुणवत्ता संबवर्धन :–

शत प्रतिशत नामांकन एवं धारणा के लिए आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की क्षमता एवं शिक्षा परिसर भी आकर्षक हो। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक एवं भौतिक सुविधाओं की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। जहॉ तक शिक्षकों का प्रश्न है उनके उध्यापन, कौशल के साथ–साथ प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में अभीष्ट

दक्षता अपेक्षित है। इसके लिए उन्हे समय–समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। पाठ्य पुस्तकों की संरचना भी छात्रों के मानसिक स्तर एवं सामाजिक अपेक्षा ओं के सन्दर्भ में नये सिरे से करनी होगी। इसके अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, पुर्ननिर्माण, भौचालय, हैण्ड़पम्प, विद्यालय की चारदिवारी के निर्माण का प्रस्ताव है। भौक्षिक उपस्करों के लिए भी प्रति अध्यापक प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए परिवेश । में संचालित शिल्पों एवं उद्योंगों आदि का शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव है। जहां तक शिक्षण के सैद्धान्तिक उन्नयन का प्रश्न है। इसमें डाईट, बी.आर.सी.एफ. की विशेष भूमिका है। अपेक्षित योग्यता वाले सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रत्येक विकास क्षैत्र में गुणवत्त ा के निरीक्षण के लिए समूह का गठन किया जायेगा। जन सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को भी प्रशिक्षित, अधिकृत एवं संबंलित किया जायेगा।

अध्याय – 5

पहुँच एवं ठहराव

5.1 भूमिका

प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 1986 में 14 आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य व गुणवत्ता शिक्षा दी जावे। लेकिन सवाई माधोपुर जिले में भौगोलिक विभिन्नताए होने के कारण प्रत्येक गॉव में विद्यालय सुविधा, तथा विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट व्यूह रचना की आवश्यकता है। जो कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम द्वारा चलाये गये हैं उनका संबलन कर सर्व शिक्षा अभियान में अधिक तथ्यात्मक कार्यनीति अपनाई जायेगी। सर्वप्रथम प्रत्येक 6 –14 आयु वर्ग के बच्चे को विद्यालय सुविधा सुलभ हो यह सुनिश्चित करना सर्व शिक्षा, अभियान का उद्देश्य है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों का खोलना व उन्हें क्रमोन्नत करना निहित है। इनके अलावा शिक्षा गारन्टी योजना व वैकल्पिक विद्यालय के कारण समस्त शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना, जो जुड गये हैं वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें यह भी सुनिश्चित करना एक ध्येय है। शिक्षा को व्यवसाय से जोडना व समुदाय की भागीदारी से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

5.2 पहुँच

सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय शिक्षार्थी के निवास से 1 किमी के दायरे में हो तभी प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण इस मॉग की पूर्ति के लिए SSA में अभियान चलाया जायेगा। शिक्षा सुविधा की सुलभता शिक्षा के सार्वजनीकरण बड़ी प्रथम आवश्यकता है। प्रत्येक गॉव में विद्यालय सुविधा उपलब्ध हो यहॉ एक मौलिक उद्देश्य है।

इस प्रकार गॉव 1163 में से 1138 में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है शेष गांव में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यवस्था की जानी है।

5.1 प्राथमिक विद्यालयों की उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा शिक्षा गारन्टी योजना विद्यालयों की प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नितिः–

वर्तमान में समस्त जिले में कुल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 560 और उच्च प्राथमिक विद्यालयो की संख्या 229 है। इस संख्या में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2:1 का अनुपात स्थापित करने तथा प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् बालको को निकटतम स्थान (3 किमी के अन्दर) पर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराऐ जाने के लिए निम्न सुत्रानुसार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कमोनत किया जाना है।

उ. मा. वि. में कमोनत प्रा. वि.बराबर (प्रा. वि. + उ. प्रा. वि./3–उ.प्रा.वि.) प्रति वर्ष

इसी कम में जिले में स्वीकृत 419 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं तथा 39 शिक्षाकर्मी विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना है ताकि इन शिक्षण संस्थाओ को पूर्ण विद्यालय स्तर का दर्जा देकर सम्बल प्रदान किया जा सकें।

परिवर्तन का सूत्र निम्नानुसार रहेगा

सत्र 2003–2004 मे :– सम्पूर्ण रा. गा. पा. के 40 प्रतिशत को प्रा. वि. में।

सत्र 2004–2005 में :– रा.गा. पा. के 20 प्रतिशत तथा समस्त शिक्षा कर्मी विद्यालयों को प्रा. वि. में परिवर्तित किया जायेगा।

सत्र 2005–2006 में :– रा. गा. पा. के 20 प्रतिशत विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना है।

सत्र 2006–2007 में :– रा. गा. पा. की 20 प्रतिशत विद्यालयों को प्रा. वि. में परिवर्तित किया जाना है।

शिक्षा कर्मी विद्यालयों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत 2004–2005 में किया जाना प्रस्तावित है। शिक्षा कर्मी विद्यालय की प्रहर पाठशालाओं को ई0जी0एस0 में बदला जाना प्रस्तावित है।

राजीव गांधी पाठशाला जिनमें कक्षा एक से पॉच तक सौ छात्र अध्ययनरत हों उनकों ही प्राथमिक विद्यालय में बदला जाएगा।

वैकल्पिक विद्यालय 2006–2007 में प्राथमिक विद्यालयों में बदले जाएंगे उन विद्यालयों में भी कम से कम सौ छात्र अययनरत हों, जहां सौ से कम छात्र अध्ययनरत हैं वो वैकल्पिक विद्यालय ई0जी0एस0 के अन्तर्गत संचालित किये जाऐंगें।

परियोजना अवधि में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत 218 विद्यालयों को शिक्षण अधिनाम सामग्री की व्यवस्था हेतु 50000 रूपये प्रति विद्यालय बजट प्रावधान रखा गया है। इन विद्यालयों को भी विद्यालय सुविधा अनुदान रूपये 2000/– प्रति वर्ष उपलब्ध करवाए जाने है तथा इनमें नियुक्त शिक्षको को 500 रूपये प्रति शिक्षक प्रति वर्श शिक्षण अधिग्रम सामग्री के रूप में उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान रखा गया है। क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रथम वर्ष में एक प्रधानाध्यापक व एक अध्यापक उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके आगामी वर्षो में प्रति वर्ष एक अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध करवाया जावेगा।

उपरोक्त सारणी के अनुसार 551 ईजीएस शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रावधान है। परिवर्तन के पश्चात् इन विद्यालयों को शिक्षण अधिग्रम सामग्री हेतु 10000 रूपये प्रति विद्यालय उपलब्ध करवाए जाने का बजट प्रावधान रखा गया है।इन विद्यालयों के अध्यापको को 500 रूपये प्रति वर्ष प्रति अध्यापक के रूप में शिक्षण अधिग्रम सामग्री हेतु उपलब्ध कराए जावेगें। साथ ही इन विघालयो को पूर्ण स्तर करने के पश्चात् प्रति वर्ष 2000 रूपये विद्यालय सुविधा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेगें। इन परिवर्तित विद्यालयों में एक अध्यापक एवं दो पैराटीचर प्रति विद्यालय उपलब्ध करवाए जावेगे।

5.2 शिक्षा गारन्टी स्कीम

मौलिक अधिकार के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक रूप से प्रारम्भिक शिक्षा दी जावे अतः सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के सार्वजनीकरण में निर्धारित समय बद्ध कार्यक्रम को पूरा किया जाय।

– सभी बच्चे 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी स्कूल EGS, वैकल्पिक शिक्षा या Back to School में प्रवेश दिलाया जाये।

– सभी बच्चे 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।

– सभी बच्चे 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पूर्ण करें।

EGS (शिक्षा गारन्टी योजना) में 6–14 आयु वर्ग के बालकों को 18 वर्ष तक शिक्षा देने का प्रावधान है। EGS का आधार सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सार्वजनीकरण की व्यवस्था करना है। जिले में 6–8 वर्ष के प्रत्येक बालक का नामांकन होना चाहिए।

ईजीएस (शिक्षा गारन्टी योजना)को एसएसए में एक अभिन्न अंग के रूप में चलाया जायेगा जो प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना DPEP योजना के तहत विद्यालय सुधार बच्चों को प्रोत्साहन, अध्यापकों की पूर्ति, प्रचलित विद्यालयों में गुणात्मक सुधार, विद्यालय बाहर के का प्रवेश होगा। इनका उद्देश्य होटलों में कार्य करने वाले, घुमन्तू, गलियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ये केन्द्र वहाँ खोले जायेंगे जहाँ 1 किमी तक कोई विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। सामान की माँग पर राज्य सरकार EGS खोलेगी।

व्यूह रचना :–

1– विद्यालयहीन बस्तियों में EGS स्कूल खोलना।

2– ब्रिज कोर्स द्वारा विद्यालय छोडे गये बच्चों को वापिस विद्यालय से जोडना

3– स्कूल से न जुडने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रयास।

समुदाय की भागीदारी :– समुदाय की भागीदारी EGS/AS में होगी। समुदाय की भागीदारी विद्यालय प्रबन्धन समिति PTA, MTA, VERS तथा पंचायत द्वारा की जायेगी।

कार्यावयन के चरण :–

⇒ सूक्ष्म योजना/घर घर सर्वेक्षण

⇒ योजना बनाना तथा EGS का स्थान सूक्ष्म योजना के आधार पर

⇒ अधिगम केन्द्र के लिए पानी, लाइट व स्थान देना।

⇒ केन्द्र का समय निर्धारण

⇒ अभिभावकों का प्रेरण

⇒ अध्यापक को पारश्रमिक देना

⇒ शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था

स्वंय सेवी का चयन :– स्वंय सेवक स्थानीय समुदाय से चयन होगा। स्वंय सेवक 18 वर्ष का व 10वीं पास हो। महिला कम शिक्षित भी चयन हो सकती है।

शिक्षार्थी :– ये सभी 6–14 आयु वर्ग के बालक जो विद्यालय कभी गये ही न हों इन विद्यालयों में औपचारिक पाठ्यक्रम ही लागू होगा।

प्रशिक्षण :– इन अध्यापकों का 30 दिन PS तथा 40 दिन UPS को आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। विद्यालय 4 घण्टे तक चलेंगे उनका समय निर्धारण करना होगा।

लागत – केन्द्र प्रति शिक्षायी PS रु0 845/– व UPS पर 1200/– एआईई पर 3000/– एवं एनजीओं पर 845/– रूपये देय होगा।

शिक्षा गारन्टी स्कूल खोलने के लिए ऐसे बंचित व छोटे आवासीय गॉव या ढाणी आदि में घर पर सर्वे के उपरानत 6–14 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाले कम से कम 25 बच्चे मॉजूद हों एवं उनके निवास स्थान 1 किमी परिधि में कोई विद्यालय नहीं है।

जिले में इस योजना के तहत 419 राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला स्वीकृत है। आगे के प्रति वर्ष नामांकन के अनुसार इन्हें प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

5.3 वैकल्पिक शिक्षा

संकल्पना :– वैकल्पिक विद्यालयी व्यवस्था 6–14 आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए है जो कामकाजी है तथा औपचारिक समय में शिक्षा व्यवस्था से नही जुड सकते । ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित है।

1– दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों अर्थात् छोटे–छोटे आवास स्थलों (जहाँ की आबादी 100 व 15 बच्चे उपलब्ध हों) तक विद्यालयी पहुँच प्रदान करना।

2– अनामांकित तथा विद्यालय छोडने वाले बच्चों विशेष कर लडकियों के लिए शैक्षिक सुविधायें प्रदान करना।

3– कामगार बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।

4– अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों विशेषकर लडकियों के लिए मदरसों में सामान्य शिक्षा प्रदान करना।

5– प्रभावी संचालन के लिए वैकल्पिक विद्यालयों के प्रभावी संचालन के लिए शाला प्रबन्धन समितियों का गठन करना।

6– वैकल्पिक विद्यालयों को भी औपचारिक विद्यालयों में दी जाने वाली समस्त सुविधायें उपलब्ध कराना।

प्रस्तावित व्यूह रचनाओं की विशेषतायें :–

(अ) वैकल्पिक विद्यालय (6 घण्टे) खोलने के मानदण्ड

1– जिन गाँवों/आवास स्थलों में 100 प्लस आबादी हो।

2– जहाँ एक किमी दायरे में विद्यालय सुविधा उपलब्ध न हों।

3– जहाँ 15–20 स्कूल जाने वाले छात्र/छात्रायें उपलब्ध हो।

(ब) वैकल्पिक विद्यालय (4 घण्टे)

1– जहाँ कामगार, अनामांकित तथा विद्यालय छोड चुके बच्चे विशेषकर छात्रायें उपलब्ध हों।

2– जहाँ 10–15 विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे उपलब्ध हों।

(स) मदरसा :–

1– वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय के रूप में मदरसों को एडोप्ट किया जाएगा। चयनित मदरसों में सामान्य शिक्षा यथा – हिन्दी, गणित, विज्ञान के शिक्षण हेतु एक शिक्षा सहयोगी दिया जायेगा।

2– मदरसा की व्यवस्था एवं संचालन हेतु मदरसा मैनेजमेंट समिति का गठन किया गया है।

(द) **घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय सुविधा**

1– जो परिवार व्यवसाय के लिए 3 से 6 माह तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हों उनके बच्चों की पढाई के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

2– घुमन्तु परिवार के बच्चों के लिए लघु अवधि ब्रिज कोर्स लगाकर गेप को पूरा कर पुनः विद्यालयों में प्रवेश दिलवाना।

(य) **ब्रिज कोर्स**

1– अनामांकित तथा ड्राप आउट बालिकाओं के लिए 3–3 माह के लघु अवधि पैकेज के रूप में शिक्षण व्यवस्था की गई है।

2– बालिकाओं की आयु शैक्षिक आवश्यकता के आधार पर अलग–अलग अवधि के आवासीय कोर्स संचालित किये जाने का प्रावधान है।

3– प्रत्येक ब्रिज कोर्स के लिए 3 पैरा टीचर लगाए जायेंगे।

4– परियोजना अवधि में इस हेतु 48 आवासीय एवं 32 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किये जायेगें।

5.4 अध्यापकों की आवश्यकता

वर्तमान में जितने अध्यापक कार्यरत हैं उनकी संख्या जिले की आवश्यकता के अनुरूप है।परन्तु विद्यालय में ज्यों ज्यों नामांकन बढ रहा है। अध्यापकों की आवश्यकता बढेगी। भविष्य की मॉग को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापकों की आवश्यकता व पूर्ती को सुनिश्चित करना होगा।

जिले के समस्त प्रा. वि. एवं उ. प्रा. वि. में छात्र संख्या के आधार पर 1:40 के अनुपात में अध्यापक उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है अतः वर्तमान टीपीआर

(छात्र शिक्षक अनुपात) को देखते हुए निम्न अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है

2003–04 में	94
2004–05 में	100
2005–06 में	105
2006–07 में	113

5.5 समुदायिक गतिशीलता

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए जन सहभागिता ही एक निश्चित आधार है। जब तक जनता का सीधा जुडाव न होगा शिक्षा का प्रत्येक कार्यक्रम अधूरा ही रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि आम जनता इसकी गतिविधियों को जाने, क्रिया विधि से परिचित हो तथा इसके कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले। जन समुदाय में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति रुचित जाग्रति पैदा करना और शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं को औपचारिक अथवा वैकल्पिक विद्यालय से जोडना अध्यापक और समुदाय का साझा दायित्व है। विद्यालयों में शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ उतराव मुक्त नामांकन को बढाना सामुदायिक गतिशीलता से सम्भव हो पायेगा। विद्यालय से सम्बन्धित कार्यो में विद्यालय समितियों का प्रावधान में पूर्ण सहयोग का होना आवश्यक है। और कार्यक्रम में पारदर्शिता से समुदाय जुड सकता है।

मुख्य विशेषताये :–

– लचीलापन

– जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व

– विभिन्न समितियों के माध्यम से गतिविधियों का सम्पादन

व्यूह रचना :– सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु DPEP की तरह व्यूह रचना बनाई गई है।

1– जिला संदर्भ समूह का गठन

2– ब्लॉक स्तर, संकुल स्तर व ग्रामीण स्तर पर समितियॉ

3– समितियों के अभिनवन प्रशिक्षण

गतिविधियॉ :– समुदाय की गतिशीलता के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इनका संचालन समितियों द्वारा ही किया जायेगा जैसे :–

1– बाल मेला/कला जत्था/रैली

2– महिला बैठकों का आयोजन – महिलाओं के सक्रिय सहयोग व भागीदारी के लिए बढावा देना।

कार्य विधि – महिला मीटिंग प्रति विद्यालय एक वर्ष में एक बार

3– जन प्रतिनिधि बैठक – सभी जन प्रतिनिधि सामूहिक रूप से समुदाय व विद्यालय कार्यों में भाग लेगें।

4– पोस्ट व ब्राशरस के माध्यम से प्रचार प्रसार – हर व्यक्ति को सम्पूर्ण जानकारी हो सके ताकि समुदाय की गतिशीलता परियोजना के कार्य में बन सकें।

5– मीडिया ग्रुप गठन – अखबार पत्रिका आदि के कवरेज के लिए पत्रकारों व इस धन्धे से जुडे लोगों का समूह अधिक से अधिक शिक्षा के समाचार देने के लिए जोडना।

6– विज्ञान मेला – ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय

7– स्वास्थ्य मेला – प्रति विद्यालय बालको का स्वास्थ्य कार्ड, बनवाया जिसमें बालको के वजन, सीना, लम्बाई ऑख, नाक, कान के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी रखी जावेगी।

5.6 **व्यावसायिक शिक्षा :–** सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना है शैक्षणिक व्यवस्था के साथ व्यवसाय में कौशल प्राप्त करने से शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है एवं शिक्षा जीविकोपार्जन के रूप में विशिष्ट व्सवसाय में दक्ष श्रमिक एवं करीगर देती है।जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यो को समाज में सम्पादित किया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा में कढाई, सिलाई, बुनाई, कागज कार्य, बढई, लुहार, पुस्तक वाइंडिंग, टाइप जीवन से जुडी हुई अनेक दस्तकारियों व दक्षताओं से परिचय कराया जाये।

5.7 **विद्यालय की भौतिक सुविधायें :–** विद्यालयों में कक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा कक्ष बनाना तथा भवन के अतिरिक्त शौचालय, पानी की सुविधा, चार दीवारी आदि की व्यवस्था करने का प्रावधान है। यह सुविधा प्रत्येक विद्यालय में नहीं है। लडकियों के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था होगी। इस हेतु परियोजना अवधि में तीन कमरे वाले विद्यालय भवन 39 , अतिरिक्त कक्षा कक्ष–1474 शौचालय 169 हेण्ड पम्प 200, पीएचईडी कनेक्शन 45 एवं रेम्पस 200 के निर्माण का प्रस्ताव है इस हेतु विद्यालय की भवन निर्माण समितियो को एक दिवसीय प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है।

5.8 **विद्यालय रख रखाव (Maintenance) :–** विद्यालय पुराने भवनों में चल रहे हैं उनकी मरम्मत करने के लिए प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक विद्यालय को 5000/– रु0 प्रति वर्ष, भवन मरम्मत, पुताई सफाई, फर्नीचर की मरम्मत सभी सम्मलित होंगे। समस्त प्राथमिक विद्यालय, संस्कृत प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को राशि प्रदत्त की जाऐगी।

5.9 **कम्पयूटर शिक्षा :–** वर्तमान में कम्पयूटर की पहली आवश्यकता को देखते हुए परियोजना के अर्न्तगत उच्च प्राथमिक विद्यालयो में कक्षा 6 से 8 के बालक

बालिकाओं के लिए कम्पयूटर शिक्षा लागू की जायेगी। इस हेतु सत्र 2003–2004 से प्रति वर्ष 3000 बालक–बालिकाओं को इस शिक्षा से जोडने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सत्र 2006–2007 की समाप्ति तक कुल (3000 गुणा 4)

12000 बालक–बालिकाओं को कम्पयूटर शिक्षा से जोडने का प्रावधान है। इस शिक्षा पर प्रतिवर्ष 500 रूपये प्रति बालक पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

Status Schools & Upgradition

Year	Position of School						Upgradation		Position after Upgradition					
	P.S	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total	PS	UPS	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total
2002-2003	560	229	419	39	13	1260		12	548	241	419	39	13	1260
2003-2004	548	241	419	39	13	1260	169	39	678	280	250	39	93	1340
2004-2005	678	280	250	39	93	1340	119	39	758	319	170	0	93	1340
2005-2006	758	319	170	0	93	1340	80	40	798	359	90	0	93	1340
2006-2007	798	359	90	0	93	1340	183	27	954	386	0	0	0	1340

अध्याय–6
गुणवत्ता शिक्षा

6.1 भूमिका –

शिक्षा के सार्वजनीकरण में गुणात्मक शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम हैं विद्यालयी परिपेक्ष्य में गुणात्मक शिक्षा के मापन हेतु विभिन्न सूचक तैयार किये गये है। इनका उपयोग विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने हेतु किया जा सकता है। विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के मापन हेतु नामांकन वृद्वि ,उतीर्णता प्रतिशत ,पुनः अध्ययन दर ,शाला त्याग करने वाले बच्चो की दर, उपलब्धि स्तर, विद्यालयी वातावरण की गुणवत्ता प्रमुखता से उभर कर आयी है।

उक्त गुणात्मक शिक्षा मापन की नवीन विधायें प्रभावी ढंग से लागू हो, इसके लिए शिक्षकों को भी आधुनिक नवाचारों एवं विधाओं की पूर्ण जानकारी अपेक्षित है। इसके अभाव में गुणवत्ता शिक्षा का मापन सम्भव नही है।

6.2 विद्यालय अनुदान राशि

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय दो हजार रूपये की राशि का अनुदान दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक एवं सहमति के उपरान्त किया जा सकेगा। संस्था प्रधान (सदस्य सचिव) अपने विद्यालय की आवश्कीय आवश्यकताओं से विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को आमन्त्रित एवं आहुत बैठक में अवगत करायेगा। संस्था की आवश्यकता एवं राशि के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय अनुदान राशि की उपयोगिता की सहमति प्रदान करेगी। इस राशि से विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए दरी पट्‌टी आदि आवश्यकतानुसार कय की जा सकेगी। पेयजल आपूर्ति बहाली हेतु पानी की टंकी आदि के खरीदे जाने का प्रस्ताव भी पारित कराया जा सकेगा। इस प्रकार फुटकर एवं छोटी मोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति प्रति वर्ष मिलने वाली विद्यालय अनुदान राशि द्वारा की जावेगी।

6.3 शिक्षण अधिगम सामग्री–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा अधिगम सामग्री हेतु पॉच सौ रूप्ये प्रति अध्यापक को देय है। इस राशि में से चौथाई राशि का उपभोग बाजार से सामग्री कय करने में और तीन चौथाई राशि का उपभोग विद्यालय में बच्चो के मध्य बैठकर शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण पर किया जा सकेगा। यह राशि कच्ची सामग्री पर अधिक मात्रा में व्यय की जायेगी। इस राशि व्यय से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री कय की जा सकेगी। यह

सामग्री बच्चो को शिक्षण विद्या को समझाने में मददगार होगी तथा बच्चो को विषयवस्तु की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

यह जानकारी रूचिकर एवं प्रभावी होगी इसका स्थायित्व अमिट होगा ।

अतः शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं डिमोन्स्ट्रेशन को सर्वशिक्षा अभियान में प्रबलता से उभारा गया है जो बच्चो के लिए आनन्ददायी ,रूचिकर एवं शिक्षाप्रद है।

6.4 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि राजस्थान सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ को निशुल्क पाठ्य पुस्तके दी जा रही है परन्तु इससे जेण्डर वाइस को बढावा मिलता है। हमारे द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जेण्डर वाइस को बढावा मिलता है। हमारे द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से जेण्डर संवेदनशीलता की बात करना भी ठीक नहीं होगा, यदि सभी को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराने में भेदभाव रखा जाता है। इस सम्पूर्ण स्थिति से भली भॉति परिचित होकर की सर्वशिक्षा अभियान में सभी को उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराये जाने का विचार दृढता से उभरा है और इसे अमल में लाया जा रहा है। सभी को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना जेण्डर संवेदनशीलता के अन्तर्गत आता है। सर्व शिक्षा अभियान में बुद्विजीवियों एवं शिक्षाविदों ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें सभी को दिये जाने की अभिशसा की है। वास्तव में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्धि में सभी गरीबों को सार्थक सुविधा मिलेगी जो आर्थिक बोझ वहन करने में सक्षम नही है।

6.5 पुस्तकालय अनुदान-

(1) विद्यालय स्तर पर – अच्छी पुस्तकें ज्ञानार्जन का प्रथम सोपान है। अच्छी पुस्तकों से विद्यार्थियों में भौतिक भावनाओं को पिरोया जा सकता है तथा ज्ञानवर्धन किया जाता है। हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं विषमताओं और अनैतिक मूल्यों का कारण श्रेष्ठ एवं मूल्य परक शिक्षा की कमी एवं साहित्य का अभाव है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस भावना पर विचार कर उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान दिया जाने का पुरजोर समर्थन किया गया है एवं प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष <u>2000/–</u> की राशि पुस्तकालय अनुदान हेतु रखी गयी है। इस राशि से जहॉ पुस्तकालयों में श्रेष्ठ एवं ज्ञानवर्धक पुस्तके मिलेगी, वही बच्चों में इनके अध्ययन से बौद्विक ,नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होगा जो भावी पीढी के लिए उपयोगी एवं लाभदायिक है। हमारे विद्यालय के संस्था प्रधानों से अपेक्षा की गयी है कि वे जीवनोपयोगी पुस्तकें कय करेगें एवं पुस्तकालयों को समृद्व करेंगें। राशि का सही सदुपयोग करना संस्था प्रधानों का नैतिक दायित्व होगा।

(2) पंचायत स्तर पर – विभिन्न विकास योजनाओं की जन–साधारण को जानकारी उपलब्ध कराने , विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को पाठ्य पुस्तके एवं सन्दर्भ पुस्तके अध्ययन हेतु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पुस्तकालय एवं वाचनालय खोले जाने का प्रावधान है। इस हेतु पंचायत मुख्यालयों के लिए दस–दस हजार रूपए वार्षिक बजट का प्रावधान रखा गया है।

6.6 उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन–

सर्व शिक्षा अभियान में शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अभावग्रस्त बच्चों के लिए वार्षिक परियोजना से तीन माह पूर्व विशिष्ट अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में मुख्य तीन विषयों के लिए तीन अलग–अलग अध्यापकों द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं की जाएगी तथा उन्हें इसके बदले मानदेय स्वरूप 3000/– (तीन हजार) रूपये की राशि प्रतिमाह 3 माह तक प्रदत की जावेगी। इस आयोजन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कक्षाओं का आयोजन अपेक्षित है। सर्वशिक्षा अभियान इस दशा में उत्तम प्रयास है। जिसमें संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की भावना द्वारा सभी को शिक्षा प्राप्ति सम्भव है।

6.7 प्रशिक्षणः–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जाने है।

1. परियोजना अवधि में प्रतिवर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु कुल 20 दिवसीय प्रशिक्षण तीन चरणों में निम्नानुसार आयोजित होगे। ये प्रशिक्षण डाईट द्वारा प्रशिक्षित दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा करवाये जायेंगे।

9 दिवसीय प्रशिक्षण :–	विषय आधारित
3 दिवसीय प्रशिक्षणः–	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु
8 दिवसीय प्रशिक्षणः–	मासिक बैठको से सम्बन्धित

2. अप्रशिक्षित अध्यापकों का 60 दिवसीय प्रशिक्षण डाईट द्वारा करवाया जायेगा।
3. इसी प्रकार पैराटीचर के लिए 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इसके अगामी वर्षो में पैराटीचर का दस दिवसीय अभिनवन प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा।

4. परियोजना अवधि में 6 दिवसीय सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष साथ ही संकुल सन्दर्भ केन्द्र प्रभारियों का भी 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

अध्याय–7

विशिष्ट फोकस ग्रुप

7.1 भूमिका–

सवाई माधोपुर जिले में विशिष्ट फोकस ग्रुप बीडी मजदूर, घुमन्तु परिवार, खनन मजदूर, भूमिहीन मजदूर, गाडियॉ लोहार ,शहरी कच्ची बस्तियों , अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के रूप में मौजूद है। इन जातियों के बच्चे आज भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित है जिन्हे जोडकर ही शिंक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव है। विशिष्ट फोकस ग्रुप के बच्चो को जोडने हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनायी जाकर इन्हें शिक्षा से जोडने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। इनके लिए शिक्षा आपके द्वार अभियान के द्वारा औपचारिक शिक्षा एवं शिक्षा मित्र केन्द्रो की व्यवस्था एवं डी.पी.ई.पी. के द्वारा वैकल्पिक विद्यालय खोले जा रहे है जिससे कि यह वर्ग पूर्णतः लाभान्वित हो सके और शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । शिक्षा आपके द्वार एवं वैकल्पिक विद्यालयों को खोलते समय इस समूह की बस्तियों को विशेष प्राथमिकता देकर चयन किया गया है।

7.2 जैण्डर संवेदनशीलता–

जैण्डर संवेदनशीलता समाज की महिलाओ के प्रति सकारात्मक सोच,महिला व पुरूषो की समानता ,लिंगानुपात ,महिला व पुरूषों में सत्ता की भावना ,महिला व पुरूषो में कार्य के विभाजन,उनके अधिकार एव कर्तव्य के बारे मे , लिंग भेद के बारे में ,समाज में महिला एवं पुरूषों के बेहतर रिश्तों के बारे में एवं बालक एवं बालिकाओं के बारे मे बात करता है। जैण्डर संवेदनशीलता के बारे में महिलाओं की आत्मछवि को पहचानने में सहायता मिलेगी। सर्वशिक्षा अभियान में इन परिस्थितियों को विशेष रूप से उभारा गया है। इसमें से सभी स्तरों पर जेण्डर गेप कम करने की बात कहीं है।

शिक्षा की व्यवस्था दी गयी है। इस हेतु जिले मे ऐसे 1874 विकंलाग बालको को चिन्हित किया गया है जिन्हे प्रतिवर्ष उपरोक्त सुविधाए प्रदान कर ठहरान दर में वृद्वि किये जाने का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.5 अनुसूचित जाति/जनजाति **के बालक /बालिकाओं के लिए शिक्षा**–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति /जन जाति के बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। आज भी ये वर्ग शिक्षा की व्यवस्थाओ से वंचित है और सार्वजनीकरण के उत्थान बाबत विशेष प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इन जातियों के लिए ई.सी.ई. केन्द्र खोलते समय जाति के अनुसार प्राथमिकता का प्रावधान रखा गया है। इन जातियों के बच्चों को विशिष्ट सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित है।

7.6 घुमन्तु परिवार वाले बालको के लिए शिक्षा–

जिले मे घुमन्तु परिवार बंजारा, कालबेलिया,कंजर एवं गाडिया लुहार है। इन जातियों के बच्चे शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था से आज भी मुश्किल है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसी जातियों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए आवासीय ब्रिजकोर्स सार्थक प्रयास सिद्व होगा। घुमन्तु परिवार रोजगार की तलाश में निश्चित अवधि तक बाहर चले जाते है और पुनः लौट आते है। इसलिए इन जातियों के बच्चों को आवासीय ब्रिजकोर्स में प्रवेश दिलवाकर शिक्षित कर सकते है। ध्यान रहे कि इन जातियों के बच्चे हार्ड ग्रुप से सम्बन्धित हैं। इसलिए इनके बच्चों को शिक्षा से जोडने के लिए इनके निवास अवधि में इनसे नियमित सम्पर्क स्थापित किया जान प्रस्तावित है। ये जातियां विश्वास उत्पन्न होने पर ही अपने बच्चों को ब्रिजकोर्स में प्रवेश दिलाकर सार्वजनीकरण के लक्ष्य की उपलब्धि में सहायक हो सकता है। इन बालको को हॉस्टल सुविधा प्रदान कर अध्ययन अनवरत रखा जाना है इस हेतु प्रतिवर्ष 100 बालकों हेतु 3000 रूपये का बजट प्रावधान परियोजना में रखा गया है।

7.3 ब्रिज कोर्स–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अल्प अवधि कुल 4 (3 माह , 6माह व 9 माह व 12 माह) के लिए शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित बालक/बालिकाओं की शिक्षा हेतु ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया है।। ऐसे बच्चे औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में कभी नामांकित नही होने वाले होते है अथवा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही ड्र ाप आउट कर जाते है। ऐंसे बच्चों को व्यवस्थित प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था ब्रिज कोर्स के माध्यम् से है। ब्रिज कोर्स आवासीय एवं गैर आवासीय दो प्रकार का होता है। यह स्थानीय आवश्यकता के अनुसार रखा जा सकता है। एक आवासीय ब्रिजकोर्स में 20–25 बच्चें होंगे तथा उनकी शिक्षा समूह में दी जावेगी। पलायनवादी (माइग्रेटरी) समूह के बच्चे भी आवासीय ब्रिजकोर्स में सम्मलित किये जा सकेगे। गैर आवासीय ब्रिजकोर्स का समय स्थानीय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार रखा जा सकेगा। इस हेतु परियोजना अवधि में 48 आवासीय एवं 32 गैर आावासीय ब्रिज कोर्स का प्रावधान रखा गया है। इस हेतु प्रत्येक आवासीय ब्रिज कोर्स हेतु 1लाख 7 हजार तथा गैर आवासीय ब्रिज कोर्स हेतु 30 हजार रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

7.4 विकलांग बालक/बालिकाओं के लिए समेकित शिक्षा–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बालक /बालिकाओं के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना स्वीकार की गयी है–

- सर्वे कराना।
- विकलांग बच्चों की पहचान करना।
- बच्चों के मूल्यांकन करना।
- सहायता एवं उपकरण ।
- रचनात्मक विभेद दूर करना।

उक्त बिन्दुओ के आधार पर विकलांग बच्चों की पहिचान की जाकर उनके औपचारिक शिक्षा से जोडना ही अभियान का दृष्टिकोण हैं। इस अभियान में रचनात्मक भेद को दूर करने एवं उन्हें एड एण्ड एप्लाइन्सेज उपलब्ध कराना सम्मिलित है। इस ग्रुप को भी विशिष्ट फोस ग्रुप में रखा गया है। परन्तु उनकी परिस्थितियों के मद्देनजर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है जिससे वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इनके लिए सर्वशिक्षा अभियान में समेकित

7.7 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा–

सवाई माधोपुर जिले में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 6–14 आयुवर्ग के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से सुलभ नहीं हो पा रही है। इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु इनकी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जानी हैं। इस हेतु गैर आवासीय ब्रिजकोर्स एवं शिक्षा मित्र सार्थक कदम है। कामकाजी बच्चे अपनी सुविधानुसार ऐंसे कार्यक्रमों में जुडकर शिक्षा ग्रहण कर सकेगें। इन बालको की शिक्षा हेतु परियोजन अवधि में कुल 900 बालको को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर 845 रूपये व्यय किया जाना है।

7.8 नवाचार–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचार हेतु पचास लाख रूपया प्रति वर्ष के हिसाब से प्रावधान रखा गया है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाने है।

1. ई0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना
2. कम्प्यूटर शिक्षा
3. व्यावसायिक शिक्षा
4. आदर्श विद्यालय की स्थापना
5. मदरसा का सुदृढीकरण

अध्याय –8

अनुसंधान ,मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए निरन्तर नवीन नवाचार एवं नवीन विधाओं का अनुसंधान कर प्रयोग किया जा रहा है। प्रयोग करने के पश्चात् प्राप्त परिणामों हेतु विषय वस्तु के मूल्याकन ,परिवीक्षण एवं प्रबोधन की आवश्यता होती है। इसी कडी में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सर्वशिक्षा अभियान, में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक विकास ,अध्यापक प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष प्रकिया का नियमित मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग विशेश रूप से आवश्यक है। इस प्रयास में समुदाय की भागीदारी महत्तवपूर्ण है। बच्चों की प्रगति एवं विद्यालयी प्रकिया को बढावा देने के लिए वी.ई.सी. पी.टी.ए. एस.ई.सी. एम.टी.ए. एवं एम.एस.सी. आदि को मासिक मीटिंग /पाक्षिक मीटिंग का आयोजन कर सर्वशिक्षा अभियान में सम्मलित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों का उपलब्धि स्तर एवं प्रत्येक तीन वर्ष में सामयिक पर्यवेक्षण का प्रबन्ध किया गया हे।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षण अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य ,जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर रिसर्च ग्रप्स का गठन किया जावेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य, जिला ब्लाक एवं संकुलो पर गठित संदर्भ समूह एस. सी.ई.आर.टी. डाइट. बी.ई.ओं. बी.आर.सी. एवं सी.आर.एस. का पी.एम.आई.एस. की सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्य करेगा।

गुणवत्ता से सम्बन्धित गतिविधियों की व्यूह रचना नियोजन, कियान्विति एवं मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण करेगा । इस ग्रुप का मुख्य कार्य पाठ्यकम विकास ,अध्यापन ,प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों में सलाह एवं मार्गदर्शन करना हे।

इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान में अनुसंधान ,मूल्यांकन,परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्तवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है जिनके माध्यम से ही गुणवत्ता शिक्षा में सुधार एवं निरन्तर अधिगम की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर मापी जा सकती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्श 2003–2004 में कक्षा 3 का बेस लाइन सर्वे करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुसंधान ,मूल्यांकन ,परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्तवपूर्ण स्थान देते हुए निम्न प्रकार से बजट का प्रावधान रखा गया है।

ईकाई लागत	2002–2003		20003–2004		2004–2005		2005–2006		2006	
	विद्यालयो की संख्या	राशि	विद्यालयों की संख्या	राशि	विद्यालयों की संख्या	राशि	विद्यालयों की संख्या	राशि	विद्यालयों की संख्या	राशि
1400 रू. प्रति विद्यालय	280	3.920	280	3.920	309	4.325	355	4.970 लाख	420	5.880 लाख

प्रबोधन–

भूमिका–

किसी भी कार्यकम के सफल संचालन एवं कियान्वयन हेतु एक दृढ, एवं जवाबदेही प्रबोधन तन्त्र का होना आवश्यक है। प्रबोधन सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा योजना का सफल संचालन एवं कियान्वयन किया जा सकता है। इस कार्य को मूर्त रूप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रबोधन हेतु तीन मुख्य कार्यकमों को सम्पादित किया जायेगा।

1. शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र
2. योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र
3. वित्त प्रबंधन सूचना तन्त्र

प्रबोधन के उद्देश्य

1 प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियां जिला स्तर पर हर वर्श ज्ञात करना व उनका समय पर विश्लेशण करना ।

2 नामांकन एवं ठहराव की मॉनिटरिंग करना।

3 विद्यालय में अध्ययनरत छात्रो की परिलब्धियां ज्ञात करना जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनो पर विशेश ध्यान रखना।

4 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कियान्वित हो रहे सभी कार्यो की मॉनिटरिंग करना।

शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र

जिला स्तर पर जिला सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना एनआईईपीए द्वारा निर्धारित डीआईएसई 2001 के प्रपत्रों में एकत्रित की जायेगी। गांव की सूचनाए हर तीन वर्श बाद एवं विद्यालय की सूचनाये प्रत्येक वर्श एकत्रित की जायेगी। ये सूचनाये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ,एस एम सी के अध्यक्ष , सीआरसीएफ द्वारा प्रमाणित की जायेगी। जिसके माध्यम से शैक्षिक सांख्यिकी में नामांकन ठहराव एवं ड्र ाप आउट के सूचक तैयार किए जावेगे। यह नियोजन एवं अनुश्रवण में इनपुट का काम करेगें। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक प्रबन्धन सूचना तंत्र ,जिले के अन्तर्गत आने वाले कम्पयूटर डाटाबेस तैयार किया जावेगा, जिससे उक्त विद्यालयों के शैक्षिक डाटाबैस,शिक्षाविद्‌ों ,प्रशासकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को जिला स्तर पर ,राज्य स्तर पर एवं राश्ट्र ीय स्तर पर प्राप्त हो सकें, जिनका विश्लेशण कर भविश्य की योजना निर्माण एवं कार्यकम कें संचालन में सहयोग मिल सकें।

ई. एम. आई. एस. के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है–

1 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को नामांकित करना।

2 अध्ययनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करना ।

3 अध्यापको की जानकारी देना ।

4 नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा समाप्ति की जानकारी लेना।

5 विद्यालय छात्र अनुपात ,कक्षा कक्ष छात्र अनुपात एवं शिक्षक छात्र अनुपात ज्ञात करना।

6 विभिन्न हैडस में प्रगति की जानकारी प्रोजेक्ट के अनुसार ज्ञात करना।

7 सर्व शिक्षा अभियान के सम्बन्ध में लक्ष्यों के अनुसार प्राप्ति दर एवं आकडों का विश्लेशण करना।

8 समय–समय पर समस्त सूचनाओं का आदिनांक करना जिससे की प्रगति की सही समीक्षा की जा सकें।

योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र

- ❖ एक अच्छे नियोजन के लिए
- ❖ व्यूह रचना के अनुश्रवण के लिए
- ❖ प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने हेतु
- ❖ तंत्र में अच्छे कियात्मक कार्य

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एवं समयबद्व सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल मुद्दा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.) के द्वारा समस्त सुचनाएँ समय–समय पर एकत्रित की जायेंगी। योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न हेड्स के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति के बारे में जानकारी ली जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान में पी.एम.आई.एस के द्वारा उच्च प्रबन्धन को योजना बनवाने एवं उसके कियान्यवयन में सुविधा प्राप्त होगी। इस हेतु पी.एम.आई.एस. के द्वारा समस्त सूचनाएँ एक साथ प्राप्त की जा सकेगी।

वित्त प्रबन्ध सूचना तंत्र

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सही वित्त प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस कार्य हेतु वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र के द्वारा ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वित्त सम्बन्धी खर्चे एवं प्रापति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। डी.पी.ई.पी. द्वारा इस कार्य हेतु एक कम्पयूटर सोफ्टवेयर बनवाया गया है जिसके अन्तर्गत खर्चे, प्राप्तियां ,बजट,एस्टिमेशन ,बजट एलोटमेंट इत्यादि कार्य प्रभावी ढंग से सम्पादित किये जा सकते है।

सर्व शिक्षा अभियान में कोषप्रवाह निम्नानुसार प्रस्तावित है–

जिला परियोजना समन्वयक

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र

संकुल संदर्भ केन्द्र विद्यालय प्रबन्धन समिति

प्रबोधन कार्मिक

प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर डी.पी.ई.पी. में कार्यरत एम.आई.एस. प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्र ी ऑपरेटर समस्त कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर उक्त स्टाफ (एम.आई.एस.प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्र ी ऑपरेटर) के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य संचालय हेतु दिये गये है।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत होंगे।

प्रबोधन संसाधन–

सर्वशिक्षा अभियान के प्रभावी प्रबोधन हेतु डी.पी.ई.पी.में उपलब्ध दो कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर सिस्टम की जिला स्तर पर आवश्यकता है।
ब्लॉक स्तर पर प्रभावी प्रबोधन हेतु एक–एक कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता है।

अध्याय – 9

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

9.1 भूमिका –

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वजनिकरण की एक लक्ष्य प्राप्ति मे सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्वांतों में वर्णित 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान वर्णित हैं। आज की स्थितियों में भी दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने एवं शिक्षा के लक्ष्य मी शतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चत करने के लिए श्रेष्ठ प्रबन्धन एवं प्रबोधन अत्यावश्यक हैं। इसके अभाव में शिक्षा के साव्रजनिकरण का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्तर पर प्रबन्धन एवं प्रबोधन की अत्यधिक आवश्यकता हैं।

9.2 जिला स्तर पर प्रंबधन :–

जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की कियान्वति हेतु स्टाफ की आवश्यकता निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती हैं ।

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या	ग्रेड	लागत ईकाई (हजारो में)
1.	जिला परियोजना समन्वयक	1	9000–14000	20,000
2.	सहायक परियोजना समन्वयक	4	8000–13500	15,000

3.	कार्यक्रम सहायक	3	6500—10500	12,000
4.	सहायक लेखाधिकारी	1	8000—13500	15,000
5.	लेखाकार	2	5500—9000	10,000
6.	सहायक अभियन्ता	1	8000—13500	10,000
7.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	5500—9000	11,000
8.	खनान्जी का मण्डारण प्रभारी	1	5000—9000	10,000
9.	कनिष्ठ लिपिक	1	3050—4500	
10.	कार्यालय सहायक कम स्टेनो	5		4000निर्धारित
11.	डेटा एन्टरी आपरेटर	2		4000निर्धारित
12.	सहायक कर्मचारी	6		2550निर्धारित

9.3 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) से समन्वय–

जिले में शिक्षा की व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रबन्धन की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के द्वारा सम्पादित की जाती है। इनके अधीन जिला मुख्यालय के अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा प्रसार अधिकारी कार्यरत हैं ।

शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं मोनेटरिंग का दायित्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) के साथ जिला परियोजना समन्वयक के साथ सन्निहित हैं ।

विभिन्न स्तरों पर संगठनों का ढांचा

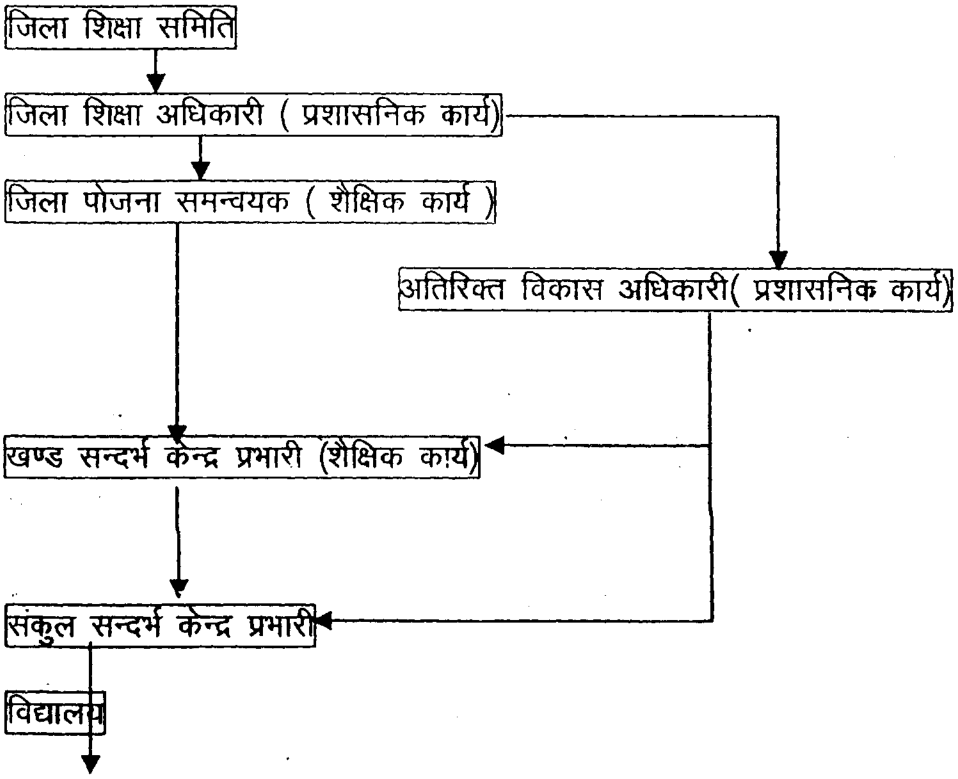

✓ उक्त तालिका यह दशार्ती हैं कि सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग के समन्वय सहयोग से ही शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता हैं । दानो कार्यालयों में आपसी तालमेल एवं का होना नितांत आवश्यकत एवं समय की मांग हैं ।

✓ सर्व शिक्षा अभियान दोनो की एक ही लक्ष्य: अंतिम सीढ़ी पर विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों का नामांकन, ठहराव, क्षमताओं का विकास एवं गुणवत्तपूर्ण

आनन्ददायी शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अभी भी शिक्षा से वंचित रहने वाले वर्गो को जोड़ना हैं ।

✓ विद्यालयों का निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता हैं और भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों सहित नवाचारों की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त की जायेगी ।

अतः विभिन्न कार्यक्रमों को गति देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षा के सार्वजनिकरण, आंकड़ों के सही एवं वैद्य एकत्रीकरण हेतु दोनों का समन्वय आवश्यक हैं । सर्व शिक्षा अभियान दोनों के बेहतर तालमेल का पक्षधर हैं जिससे सम्भावित लद्वय मांग के अनुसार प्राप्त किया जा सके ।

9.4 जिला शासी परिशद् (डी.जी.सी.)

जिले में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित शासी परिषद जिला परियोजना कार्यालय से सम्बन्धित नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तपूर्ण शिक्षा सहित विभिन्न मामलों की प्रोग्रेस एवं नीतिगत मामलों की देखभाल करेगी। इसकी बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। इस समिति में जनप्रतिनिधि विभिन्न विभागों के सदस्, शिक्षाविद्, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सहित शिक्षक संघ प्रतिनिधि होगे। जिला परियोजना समन्वयक शासी परिषद का सदस्य सचिव होगा। शासी परिषद का गठन निम्नानुसार किया जायेगा –

जिला शासी परिषद् के सदस्य –

• जिला प्रमुख	अध्यक्ष
• सांसद	सदस्य
• विधायक (समस्त विधान सभा क्षेत्र)	सदस्य
• जिला कलेक्टर	उपाध्यक्ष
• प्रधान –समस्त	सदस्य
• अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास)	सदस्य
• अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)	सदस्य
• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
• प्राचार्य (डाइट)	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि)	सदस्य
• सचिव जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा	सदस्य
• अधिशाषी अभियंता (पीएचईडी)	सदस्य
• अधिशाषी अभियंता (पीडब्ल्यूडी)	सदस्य
• समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
• जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
• परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
• विकास अधिकारी समस्त	सदस्य
• अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य

• ब्लाक संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य
• संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य
• शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
• गैर सरकारी संगठन के प्रतिनधि	सदस्य
• शिक्षक संघ प्रतिनिधि	सदस्य
• यूथ क्लब प्रतिनिधि	सदस्य
• सहायक परियोजना समन्वयक (ओ.शि.)	सदस्य
• जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

9.5 जिला निष्पादक समिति –

जिला निष्पादक समिति में विभिन्न विभागों के सदस्य होगें तथा समिति का नेतृत्व जिला कलेक्टर का होगा। इसकी बैठक त्रैमासिक होगी तथा यह समिति जिला योजना के कियान्वयन की मोनेटरिंग करेगी। यह समिति जिला परियोजना कार्यालय को नये स्कूल भवनों, संकुल संदर्भ केन्द्रों के लिए उपयुक्त स्थान उपलबध करायेगी ।

जिला निष्पादन समिति के सदस्य –

• जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
• अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास)	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि0प0)	सदस्य
• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य

• प्राचार्य (डाइट)	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
• सचिव जिला साक्षता एवं सतत शिक्षा	सदस्य
• अधिशाषी अभियंता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
• अधिशाषी अभियंता (पी.डब्ल्यू.डी.)	सदस्य
• समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
• जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि)	सदस्य
• परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
• शिक्षाविद – (दो नामित)	सदस्य
• सहायत प्राप्त विद्यालय प्रतिनिधि	सदस्य
• अध्यापक संगठन प्रतिनिधि (नामित)	सदस्य
• अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य
• जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

9.6 जिला संदर्भ समूह –

• प्रधानाचार्य डाइट	संयोजक
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)	सदस्य

- जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी — सदस्य
- जिला परियोजना समन्वयक — सदस्य
- गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि (दो) — सदस्य
- समाचार संवाददाता (दो) — सदस्य
- शिक्षाकर्मी सहयोगी — सदस्य
- महिला प्रतिनिधि (शिक्षा विभाग) — सदस्य
- पेडागॉजी / ट्रेनिंग / ए.एस. / जैण्डर एण्ड ई.सी.ई.(दो प्रतिनिधि) — सदस्य
- सम्बंधित कार्यक्रम प्रभारी — सदस्य सचिव

9.7 खण्ड संदर्भ केन्द्र –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सवाईमाधोपुर जिले में पांच ब्लॉकों पर खण्ड संदर्भ कार्यालय मिनी डाइट के रूप में संचालित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर आयोजित जाने वाली गतिविधियों का आयोजन करेगा तथा खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी समस्त गतिविधियों के संचालन में प्रभारी का दायित्व निर्वहन करेगा। यह संदर्भ केन्द्र सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण पैराटीचर प्रशिक्षण के साथ कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण, शैक्षिक योजना एवं सहयोग, निरीक्षण तथा प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगा।

बी.आर.सी. के कार्य –

- विभिन्न प्रशिक्षणें का आयोजन करना ।
- ब्लॉक शिक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित कर तीन माहों के कार्यो की समीक्षा कर विश्लेषण करना तथा आगामी तीन माह में कराये जाने वाले कार्यो की जानकारी प्रदान कर कियान्विति के लिए सुझाव प्राप्त करना ।
- टी.एल.एम. का निर्माण करवाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- संकुल स्तर पर फीड बैंक प्राप्त करना तथा जिला स्तर पर स्थानान्तरित कर पुनः सूचनाओं को पुनः ग्राम तक भोजना ।
- खण्ड संदर्भ केन्द्र का कार्य संदर्भ व्यक्ति (की–पर्सन) के रूप में कार्य कर आवश्यकतानुसार डाइट एवस.आई.ई.आर.टी. से निर्देश प्राप्त कर प्रशिक्षणों में उपयोग करना ।
- वैकल्पिक विद्यालयों के शिक्षा सहयोगियों/पैराटीचर्स तथा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- मूल्यांकन एवं प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखना ।
- विकलांग बच्चों की पहचान एवं शिक्षण व्यवस्था करना ।
- मासिक मीटिंग और प्रशिक्षणों के माध्यम से संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को सपोर्ट और सुविधा उपलब्ध करवाना ।

➢ शैक्षिक प्रबंध सूचना तंत्र को मजबूती प्रदान करना ।

9.8 खण्ड स्तर का प्रबंधन :–

खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की कियान्विति हेतु स्टाफ की आवश्यकता निम्नानुसार प्रतिपादित की गई हैं ।

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या	ग्रेड	लागत ईकाई
1.	खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी	1	8000–13500	15,000
2.	संदर्भ व्यक्ति	3	6500–10600	12,000
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	5500–9000	11,000
4.	कनिष्ठ लेखाकार	1	5500–9000	10,000
5.	कनिष्ठ लिपिक	2	3050–4590	7,000
6.	कार्यालय सहायक	1	–	4000निर्धारित
7.	सहायक	1	–	2550निर्धारित

9.9 ब्लॉक शिक्षा समिति –

ब्लॉक शिक्षा समिति ब्लॉक संदर्भ केन्द्र एवं ब्लॉक के शिक्षा विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेगी एवं ब्लॉक के दूरदराज स्थानों पर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैयउा कराने में योगदान प्रदान करेगी। इस समिति के सदस्यगण निम्नानुरार होगें –

ब्लॉक शिक्षा समिति – (बी.ई.सी.)

➢ प्रधान पंचायत समिति	अध्यक्ष
➢ सरपंच (पुरूष)	सदस्य
➢ सरपंच (दो महिला)	सदस्य
➢ जिला परिषद सदस्य (एक पुरूष एक महिला)	सदस्य
➢ पंचायत समिति सदस्य (एक पुरूष एक महिला)	सदस्य
➢ शिक्षा विद्	सदस्य
➢ अल्पसंख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
➢ उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
➢ बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
➢ चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
➢ प्रचेता	सदस्य
➢ शिक्षा प्रसार अधिकारी	सदस्य
➢ अतिरिक्त विकास अधिकारी	सदस्य
➢ ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

9.10 संकुल संदर्भ केन्द्र –

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले में 57 संकुल संदर्भ केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों पर अध्यापकों की मासिक मीटिंग, विद्यालय प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण, भवन निर्माण समिति सदस्यों का प्रशिक्षण,

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सी.आर.सी. केन्द्र के मानदण्ड

- 8 किमी. परिधि में क्षेत्र
- प्रत्येक संकुल पर 15 से 20 विद्यालय

सी.आर.सी. के कार्य –

- ग्राम स्तर पर शाला मानचित्र एवं सूक्ष्म नियोजन की बैठक कर नियोजन करना ।
- अनुश्रवण हेतु बी.आर.सी. की फीड बेक पहूंचना ।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहायता से नामांकन, ठहराव और गुणवत्ता की स्थिति में सुधार लाना ।
- मासिक बैठक में आपैचारिक स्कूलों की सपोर्ट और सुविधा पर विचार एवं मनन करना ।
- विभिन्न ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी ।
- पंचायतीराज संस्थाओं, भवन निर्माण समिति एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को मजबूती प्रदान करना ।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए सूक्ष्म नियोजन एवं मानचित्रण का प्रशिक्षण आयोजित करना ।

9.11 कुल स्तर पर प्रबंधन

संयुक्त स्तर पर सर्व शिक्षा अभिदान की क्रियान्वति हेतु स्टाफ की आवश्यकता निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है –

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या	ग्रेड	लागत इकाई (हजारो में)
1.	संकुल केन्द्र प्रभारी	1	5500–9000	10,000

9.12 संकुल संदर्भ समूह –

शैक्षणिक व्यवस्था के उन्नयन एवं गुणवत्तापूर्ण आनन्ददायी प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूती एवं प्रदान करने के हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र पर संकुल संदर्भ समूह का गठन किया गया है। जिसमें संकुल परिधि के विभिन्न विषयों यथा – विज्ञान, गणित, अंग्रेंजी, हिन्दी एवं पर्यावरण आदि के विशेषज्ञ चयनित किये गये हैं । यह समूह मासिक बैठकों में औपचारिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रेरण का कार्य करेगा । संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी संकुल संदर्भ समूह के सुझावों पर अमल कर क्रियान्विति करेगा ।

9.13 विद्यालय एवं प्रबंधन समिति –

प्रत्येक विद्यालय स्तर पर शाला प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है। यह शाला प्रबन्धन समिति निर्माण कार्य एवं विद्यालय पर्यवेक्षक तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करेगी। शाला प्रबन्धन समिति सार्वजनीन पहूंच,

नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित कर अभिभावकों को नियमित उपस्थिति एवं ड्राप आउट कम करने हेतु प्रेरित करने का कार्य करेगी। विद्यालय में आवश्यक सुख–सुविधाओं में भवन संबंधी एवं अन्य कार्यो को पूर्ण करने का वातावरण सुनिश्चित करना प्रमुख कार्य होगा। शाला प्रबन्धनसमिति के अध्यक्ष एवं सचिव प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय का संयुक्त खाता होगा। जिनकी राशि व्यय का कार्य संयुक्त हस्ताक्षरों से आहरण कर किया जाएगा ।

विद्यालय प्रंबध समिति के कार्य –

- विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों में से भवन निर्माण समिति का गठन करना।
- अधिकतम नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना ।
- वैकल्पिक विद्यालयों एवं आंगनबाडी केन्द्रों की देखरेख करना ।
- बालमेला, कला जत्था तथा महिला मीटिंगों का आयोजन करना ।
- विद्यालय का प्रभांवी निरीक्षण एवं समय पालन सुनिश्चित करना ।

विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य –

➢ सरपंच / वार्ड पंच	अध्यक्ष
➢ अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	सदस्य
➢ अनुसूचित जन जाति प्रतिनिधि	सदस्य
➢ अल्पसंख्यक / ओ.बी.सी. प्रतिनिधि	सदस्य

➢ महिला एक्टीविस्ट	सदस्य
➢ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
➢ सेवानिवृत्त शिक्षक / कार्मिक	सदस्य
➢ यूथ क्लब प्रतिनिधि	सदस्य
➢ अभिभावक पुरूष	सदस्य
➢ अभिभावक महिला	सदस्य
➢ प्रधानाध्यापक (सम्बंधित विद्यालय)	सदस्य सचिव

9.14 भवन निर्माण समिति (बी.एन.एस.)

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों में से पांच सदस्य भवन निर्माण समिति में सम्मिलित किये गये हैं जो निर्माण सम्बंधी कार्यो की देखभाल करेगें। इस समिति को संकुल स्तर पर तीन दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । तथा इसके सम्भागियों की संख्या पांच होगी ।.

भवन निर्माण समिति के सदस्य –

➢ वार्ड पंच / सरपंच	अध्यक्ष
➢ सक्रिय सदस्य	सदस्य
➢ सक्रिय सदस्य	सदस्य
➢ सक्रिय सदस्य	सदस्य

➢ प्रधानाध्यापक / संस्था प्रधान — सदस्य सचिव

9.15 **कोष प्रवाह** –

किसी भी कार्य योजना के सफल कियान्वयन एवं संचालन में कोष की भूमिक अहम् है। बिना कोष योजना की सफलता संदिग्ध ही नही अपितु असम्भव एवं स्वप्निल भी है ।

जिला स्तर पर कोष प्रवाहन निम्नानुसार होगा –

जिला परियोजना कार्यालय व

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र

संकुल संदर्भ केन्द्र

विद्यालय

जिला स्तर से कोष जहॉ एक तरफ ब्लॉक स्तर, संकुल , स्तर तथा विद्यालय स्तर पर पहूंचे वही दूसरी तरफ विद्यालय प्रबन्ध समिति को सीधे देय होगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति उक्त राशि का सदुपयोग विद्यालय में अपने स्तर पर करने में सक्षम होगी। कोष व्यय जिला परियोजना कार्यालय का पूर्ण नियंत्रण होगा ।

9.16 सुविधाऍं एवं उपकरण

1. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय.......सर्व शिक्षा के अन्तर्गत

इस कार्यालय को निम्न सुविधाएं एवं उपकरण उपलब्ध कराये गयें हैं।

(अ) एक कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित

(ब) एक फैक्स मशीन

(स) एक फोटो स्टेट मशीन

(द) एक टेलीफोन जिला शिक्षा अधिकारी आवास के लिए

2. जिला परियोजना समन्वयक (डी0पी0ई0पी0), कार्यालय –सर्व शिक्षा अभ्यान के अन्तर्गत इस कार्यालय को निम्न सुविधाएं एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं–

(अ) पॉच कम्प्यूटर मय ऑपरेटर किराये पर प्रत्येक कार्यकम अधिकारी के लिए

(ब) इन्टर नेट कनेक्शन की सुविधा

(स) एक टेलीफोन जिला परियोजना समन्वयक आवास के लिए एवं मोबाइल सुविधा

उपरोक्त सुविधाओं के लिए पचास हजार रूपये एंवं एक लाख रूपये फर्नीचर हेतु कुल डेढ लाख रूप्ये का प्रावधान रखा गया है।

(द) दो वाहन किराये पर

3. अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय के लिए– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस कार्यालय को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है–

(अ) एक कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित

(ब) एक टेलीफोन

(स) एक फोटो स्टेट मशीन

(द) अतिरिक्त विकास अधिकारी को एक हजार रूपये अधिकतम का वाहन भत्ता (एक रूपये किलोमीटर के हिसाब से)

4. खण्ड सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (डी0पी0ई0पी0) कार्यालय के लिए – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस कार्यालय को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं–

(अ) एक टेलीविजन

(ब) एक वी0सी0आर0

अध्याय – 10
निर्माण कार्य

10.1 भूमिका

सवाईमाधोपुर जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वहाँ बालक व बालिकाओं का नामांकन बहुत अधिक है। जबकि कमरों की संख्या बहुत कम है। बालक व बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी, चार दीवारी,, रैम्प्स आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है।

शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यो में इन कार्यो को कराने की व्यवस्था की गई है।

10.2 विद्यालय भवन

निर्माण कार्यो के अन्तर्गत जहाँ विद्यालय भवन अभी उपलब्ध नहीं है तथा जो विद्यालय किराये के भवनों में या किसी अन्य स्थान पर चल रहे हैं वहाँ विद्यालय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

10.2.1 ईकाई लागत

सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय भवन दो प्रकार के बनाये जायेंगे।

(अ) तीन कक्षा कक्ष विद्यालय भवन जिसकी लागत 3.91 लाख रू. प्रति विद्यालय भवन होगी।

(ब) पॉच कक्षा कक्ष विद्यालय भवन जिसकी लागत 6.25 लाख रू. प्रति विद्यालय भवन होगी।

10.2.2 कुल विद्यालय भवनों की लागत

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल 218 तीन कक्षा कक्ष व पॉच कक्षा कक्ष के भवनों का निर्माण किया जायेगा जो निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	ईकाई लागत लाख	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007. 08
1.	तीन कमरा कक्ष विद्यालय भवन	3.91		51	39	40	27	61
2.	पॉच कमरा कक्ष विद्यालय भवन	6.25		2			2	

10.2.3 निर्माण कार्य करने का तरीका

निर्माण कार्य कराने के लिए शाला प्रबन्ध समिति, भवन निर्माण समिति का गठन करेगी जो निर्माण कार्य करायेगी जिनका परीवीक्षण कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता करेंगे। लेखा जोखा शाला प्रबन्ध समिति रखेगी। विद्यालय भवन के लिए जगह शाला प्रबन्ध समिति सरकारी भूमि या दान की हुई जमीन में से स्थान सुनिश्चित करेगी व खेलने के लिए मैदान हो ऐसे स्थान को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।

10.3 अतिरिक्त कक्षाकक्ष

जिन विद्यालयों में कमरों की संख्या बहुत कम है और नामांकन बहुत अधिक हैं उन विद्यालयों में बालक बालिकओं के बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा। कक्षा कक्षों का निर्माण करते समय 40 बालक बालिकाओं पर एक कक्षा कक्ष हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।

10.3.1 इकाई लागत

प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष की लागत 1.20 लाख है।

10.3.2 कुल लागत

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल 1474 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा जिनकी लागत कुल 1768.8 लाख है।

क्र. सं.	विवरण	ईकाई लागत लाख	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007. 08
1.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1.20		360	254	188	294	149

10.3.3 निर्माण कार्य कराने का तरीका

निर्माण का कार्य विद्यालय भवन की गठित भवन निर्माण समिति ही करायेगी जिनका परिवीक्षण कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता करेंगे तथा लेखा जोखा शाला प्रबन्ध समिति रखेगी। अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण विद्यालय चार दीवारी में ही कराया जायेगा तथा यह भी ध्यान रखा जायेगा कि खेल का मैदान कम न हो।

10.4 शौचालय

राजकीय विद्यालय में जहाँ शौचालय नहीं है या बालक बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय नहीं है। वहां शौचालय का निर्माण किया जायेगा।

10.4.1 ईकाई लागत

प्रति शौचालय निर्माण की लागत 0.10 लाख रूपये हैं।

10.4.2 कुल लागत सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल 333 शौचालयों का निर्माण किया जायेगा जिनकी कुल लागत 3.33 लाख रू है।

क. सं.	विवरण	ईकाई लागत लाख	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	कुल लागत
1.	शौचालय	0.10		100	50	80	103	3.33

10.5 पेयजल सुविधा

जहॉ विद्यालय भवनों में पीने के पानी की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है वहां पेयजल सुविधा की व्यवस्था की जायेगी। पेयजल सुविधा तीन प्रकार से की जायेगी।

1. पी.एच.ई.डी. कनैक्शन्स
2. हैण्ड पम्प
3. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्र क्चर

10.5.1 ईकाई लागत

1. पी.एच.ई.डी. कनैक्शन प्रतिलागत 0.20 लाख रू है।
2. हैण्डपम्प की प्रति लागत 0.50 लाख रू. है।
3. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्र क्चर की प्रति लागत 0.50 लाख रू. है।

क. सं.	विवरण	ईकाई लागत लाख	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	कुल लागत
1.	पी.एच.ई.डी. कनैक्शन	0.20		45	0			9.0
2.	हैण्डपम्प	0.50	0	200	200	100	87	293.5

10.6 रैम्प्स

जिले में विकलांग बालक बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवनों में रैम्प्स बनाने का निर्माण किया जाना है। जिले में कुल 200 रैम्प्स का निर्माण किया जाना है। जिनकी कुल लागत 40 लाख रू. है।

10.6.1 ईकाई लागत

रैम्प्स बनाने के लिए 0.20 लाख रू प्रति रैम्प्स है।

क. सं.	विवरण	ईकाई लागत लाख	2002 –03	2003 –04	2004 –05	200 5–0 6	2006 –07	200 7.08	कुल लागत लाख
1.	रैम्प्स	0.20		50	50	50	50		40.0

10.7. चार दीवारी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में चार दीवारी के निर्माण हेतु प्रति वर्ष 50 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। जन सहयोग लेकर इन चार दीवारी का निर्माण एस0एम0सी0 के माध्यम से करवाया जायेगा।

10.8 लघु मरम्मत

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में लघु मरम्मत के लिये 0.12500 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है । जिले में कुल 1267 लघु मरम्मत का कार्य किया जाना है जिसकी कुल लागत 158.375 लाख रूपये है। यह कार्य निम्न तालिका अनुसार किया जाना है–

क0सं	विवरण	ईकाई लागत लाख	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	कुल संख्या
1.	लघु मरम्मत	0.12500	350	365	367	200	1267

10.9 दीर्घ मरम्मत

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में दीर्घ मरम्मत के लिये 0.2500 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है । जिले में कुल 668 दीर्घ मरम्मत

का कार्य किया जाना है जिसकी कुल लागत 167 लाख रूपये है। यह कार्य निम्न तालिका अनुसार किया जाना है–

क0सं	विवरण	ईकाई लागत लाख	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	कुल संख्या
1.	दीर्घ मरम्मत	0.2500	200	268	100	100	668

10.10 विद्यालयों में खेल सुविधाएँ –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान बजट में रखा गया है। जिसमें ईकाई लागत 0.25 लाख प्रति विद्यालय रखा गया है।

क0सं	विवरण	ईकाई लागत लाख	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	कुल संख्या
1.	खेल सुविधा	0.2500	286	386	386	382	1340

10.11 BNS प्रशिक्षण

निर्माण कार्य हेतु भवन निमार्ण समितियों का गठन किया जावेगा जिन्हे एक दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान बजट में रखा गया है। शाला प्रबन्धन समिति में से ही गठित भवन निर्माण समिति के माध्यम से सिविल वर्क करवाये जाने का प्रावधान है।

PHYSICAL NUMBERS

ISTRICT

S.N.	NAME OF ACTIVITIES	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	Additional Teachers	94	100	105	113	116	119	122
3	Enrolment in RGSJP	26350	17900	11950	8750	1430		
4	Upgraditation of PS to UPS	39	39	40	27	61		
5	Additional Class Room in PS							
6	Additional Class Room in UPS	360	254	188	294	149	116	119
7	HM Room in UPS	51	39	40	27	61		
8	SC/ST Boys in UPS	18800	19270	19752	20246			
9	Construction of School Building (Five Rooms)	2			2			
10	Construction of School Building (Three Rooms)	51	39	40	27	61		
11	Toilets	100	50	80	103			
12	Handpump/ Tanka	200	200	100	87			
13	PHED Connections	45						
14	Ramps	50	50	50	50			
15	Construction of BRC							
16	Construction of CRC							
17	Boundary Wall	1	1	1	1			
18	Minor Repairs	350	350	367	200			
19	Major Repairs	200	268	100	100			
20	Provision of Play Elements to School	286	386	386	282			
21	Primary School	678	758	798	954	893	893	893
22	Upper Primary School	280	319	359	386	447	447	447
23	Sanskrit/ others School	130						
24	Upgradation of EGS/AS to Primary School	169	119	80	183			
25	Upper Primiary School (None Covered in OBB)							
26	Teachers in Primary School							
27	Teachers in Upper Primary School	1712	1812	1917	2030			
28	Teachers in Sanskrit School	360	360	360	360			
29	No of SMC	1340	1340	1340	1340			
30	No. of Disabled Children	1874	1874	1874	1874			
31	No. of Blocks	5	5	5	5			
32	No .of Clusters	72	72	72	72			
33	Interventions for Out of School Children							
34	No. of Children in Upper Primary School	800	600	400	200			
35	Enrollment Under AIE	200	200	200	200			
36	Enrollment Under NGO	1000	1000	1000	1000			
37	Education for Migratory Children	300	300	300	300			
38	Education for Working Children	500	500	500	500			
39	Bridge Course Residential (20 Children 3 Month)	15	15	15	15			
40	Bridge Course Non Residential (20 Children 3 Month)	15	15	15	15			
41	No. of Village	800	800	800	800			
42	No. of Panchayat	197	197	197	197			

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	22741	192.161	19791	167.23395	16841	142.30645	13891	117.379	73264	619.081
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			38		8		20		37		103	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	38	19.000	8	4.000	20	10.000	37	18.500	103	51.500
	3 2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	38	34.200	8	7.200	20	18.000	37	33.300	103	92.700
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	13	15.600	51	61.200	59	70.800	79	94.800	202	242.400
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	38	23.940	8	5.040	20	12.600	37	23.310	103	64.890
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	26	21.840	115	96.600	169	141.960	217	182.280	527	442.680
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	20	24.000	60	72.000	100	120.000	140	168.000	320	384.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	20	10.000	30	15.000	50	25.000	50	25.000	150	75.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	11500	11.500	11800	11.800	12100	12.100	12400	12.400	47800	47.800
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56		0.000		0.000	2	5.120		0.000	2	5.120
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	13	46.800	30	108.000	36	129.600	37	133.200	116	417.600
	6.3	Toilets	Number	0.1	50	5.000	80	8.000	80	8.000	100	10.000	310	31.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	20	10.000	30	15.000	40	20.000	60	30.000	150	75.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	10	2.000	10	2.000	10	2.000	15	3.000	45	9.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10.000	50	10.000	50	10.000	50	10.000	200	40.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250	75	9.375	100	12.500	100	12.500	325	40.625
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	25	6.250	50	12.500	80	20.000	100	25.000	255	63.750
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500	100	25.000	150	37.500	250	62.500	550	137.500
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	547		568		619		710		2444	0.000
	7 3	Upper Primary School	Number	0.05	234	11.700	272	13.600	280	14.000	300	15.000	1086	54.300
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**												
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	59	5.900	59	5.900	111	11.100	59	5.900	288	28.800
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	59	37.170	59	37.170	111	69.930	59	37.170	288	181.440
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	59	49.560	118	99.120	229	192.360	406	341.040
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	59	7.965	59	7.965	111	14.985	59	7.965	288	38.880
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	59	12.036	59	12.036	111	22.644	229	46.716
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	59	13.452	59	13.452	118	26.904
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	59	14.868	59	14.868
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	547		568		619		710		2444	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	234	4.680	272	5.440	280	5.600	300	6.000	1086	21.720
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1554		1672		1894		2012		7132	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	1945	9.725	2012	10.060	2098	10.490	2200	11.000	8255	41.275
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1495		1554		1665		1724		6438	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	1945		2012	28.168	2098	29.372	2200	30.800	8255	88.340

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.3	Refresher Course for Untrained Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	208	8.736		0.000		0.000	208	8.736
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	59	1.239	118	2.478	229	4.809	288	6.048	694	14.574
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	1872	1.123	2176	1.306	2240	1.344	2400	1.440	8688	5.213
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	547	7.658	568	7.952	619	8.666	710	9.940	2444	34.216
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	234		272	3.808	280	3.920	300	4.200	1086	11.928
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000		0.000		0.000	1	1.200	1	1.200
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.040	1	2.040	1	2.040	4	5.100	7	11.220
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.440	1	1.440	1	1.440	3	2.880	6	7.200
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000		0.000		0.000	1	0.900	1	0.900
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000		0.000		0.000	1	0.840	1	0.840
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000		0.000		0.000	1	0.600	1	0.600
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000		0.000		0.000	1	0.300	1	0.300
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.480	1	0.480	1	0.480	4	0.960	7	2.400
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000		0.000		0.000	3	0.459	3	0.459
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000		0.000		0.000	1	0.153	1	0.153
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000		0.000		0.000	5	2.100	5	2.100
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000

अध्याय 12

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2003–04

12.1 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नति

- सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अनुसार वर्ष 2003–04 में कुल 39 विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होंगे । इन विद्यालयों को 50 हजार रुपये प्रति विद्यालय शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु उपलब्ध कराये जाऐंगे।
- इन विद्यालयों को एक प्रधानाध्यापक व एक अतिरिक्त अध्यापक इसी सत्र से उपलब्ध कराया जावेगा ।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में कुल 6.89 लाख रूपये देय होंगे।

12.2 शिक्षा गारन्टी योजना (ई.जी.एस.)

- **शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत राजीव गॉधी पाठशालाओं में अध्ययनरत 26350 बालक/बालिकाओं को वर्ष 2003–04 में शिक्षण सुविधा प्रदान की जायेगी । इस हेतु 845 रुपये प्रत्येक बालक के रूप में देय होंगे ।**
- गैर राजकीय संस्थाओं द्वारा नामांकन हेतु 2003–04 में 3 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

12.3 विद्यालय भवनों का रख–रखाव

- वर्ष 2003–04 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रख–रखाव हेतु कुल 280 विद्यालयों में 5000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से देय होंगे ।
- जिले में 130 अन्य विद्यालयों (राजकीय माध्यमिक/उच्चमाध्यमिक/संस्कृत विद्यालय) में 5000 रुपये प्रति विद्यालय रख रखाव हेतु देय होंगे ।

12.4विद्यालय सुविधा राशि

- सत्र 2003–2004 में 280 उच्च प्राथमिक विद्यालय सुविधा राशि (S.F.G.) 2000 रूपये प्रति विद्यालय के हिसाब से 280 विद्यालयों हेतु प्रावधान किया गया है।

12.5 अध्यापको के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री

- सत्र 2003–2004 में जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1624 अध्यापको हेतु 500 रूपये प्रति अध्यापक के लिए राशि का प्रावधान किया हैं।

12.6 बालको के लिए निः शुल्क पाठ्य पुस्तके

- जिले में सत्र 2003–2004 में अनुसूचित जाति/जनजाति के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 18800 बालकों के लिए 100 रूपये प्रति बालक के लिए निः शुल्क पाठ्य पुस्तको हेतु बजट का प्रावधान रखा गया है।

12.7 प्रशिक्षण

- सत्र 2003–04 में अभियान के अन्तर्गत 1712 अध्यापको को 20 दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। यह प्रशिक्षण तीन चरणो में आयोजित होंगे।

  9 दिवसीय प्रशिक्षण – विषय आधारित

  3 दिवसीय प्रशिक्षण – शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु

  8 दिवसीय प्रशिक्षण – मासिक बैठकों से संबंधित

- सत्र 2003–2004 में अभियान के अन्तर्गत 338 पैरा टीचर्स को 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

12.8 अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

- सत्र 2003–2004 में इस गतिविधि के सफल कियान्वरूप हेतु 1400 रूप्ये प्रति विद्यालय के हिसाब से 280 विद्यालयों हेतु 3 लाख 920 रूपये का बजट प्रावधान इस सत्र में रखा गया हैं।

12.9 सत्र 2003–2004 में Recurring cost के रूप में 0.80 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया हैं ।

12.10 निर्माण कार्य

निर्माण कार्य के अन्तर्गत सत्र 2003–2004 में 360 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु 1.20 लाख रूपये प्रति अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के हिसाब से बजट प्रावधान रखा गया है।

इस वर्ष 100 शौचालयों के निर्माण हेतु 10 हजार रूपये प्रति शौचालय के हिसाब से बजट प्रावधान रखा गया है।

इस वर्ष 200 हेण्डपम्प एवं 45 पी0एच0ई0डी0 कनेक्शन के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

इस वर्ष 50 लाख का प्रावधान विद्यालयों की चार दीवारी के लिये रखा गया है।

इस वर्ष 350 लघु मरम्मत एवं 200 वृहद मरम्मत किये जाने का प्रावधान है।

इस वर्ष 286 विद्यालयों में खेल हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने का बजट प्रावधान है।

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT: SAWAI MADHOPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	22741	192.161		0.000	22741	192.161
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	38	19.000	13	6.500	51	25.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	38	34.200		0.000	38	34.200
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	13	15.600		0.000	13	15.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	38	23.940		0.000	38	23.940
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	26	21.840		0.000	26	21.840
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	20	24.000	68	81.600	88	105.600
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	20	10.000		0.000	20	10.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	11500	11.500		0.000	11500	11.500
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	13	46.800		0.000	13	46.800
	6.3	Toilets	Number	0.1	50	5.000	137	13.700	187	18.700
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	20	10.000		0.000	20	10.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	10	2.000		0.000	10	2.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10.000		0.000	50	10.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250		0.000	50	6.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	25	6.250		0.000	25	6.250
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	547	0.000		0.000	547	0.000
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	234	11.700		0.000	234	11.700
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	59	5.900		0.000	59	5.900
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	59	37.170		0.000	59	37.170
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	59	7.965		0.000	59	7.965
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	547	0.000		0.000	547	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	234	4.680		0.000	234	4.680
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1554	0.000			1554	0.000

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT: SAWAI MADHOPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	1945	9.725		0.000	1945	9.725
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1495	0.000			1495	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	1945	0.000	1203	16.842	3148	16.842
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	59	1.239		0.000	59	1.239
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	1872	1.123		0.000	1872	1.123
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	0	0.000		0.000	0	0.000
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	547	7.658		0.000	547	7.658
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	234	0.000	280	3.920	514	3.920
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.040		0.000	1	2.040
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.440		0.000	1	1.440
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.480		0.000	1	0.480
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT: SAWAI MADHOPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals Phy	Fresh Proposals Fin	Spillover Phy	Spillover Fin	Total Phy	Total Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	5	5.400		0.000	5	5.400
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600		0.000	5	0.600
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	5	0.500		0.000	5	0.500
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200		0.000	5	4.200
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	19.1	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625		0.000	5	0.625
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.300		0.000	5	0.300
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250		0.000	5	0.250
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	57	1.425		0.000	57	1.425
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	57	1.368		0.000	57	1.368
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	57	0.570		0.000	57	0.570
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	800	6.760		0.000	800	6.760
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	781	7.810		0.000	781	7.810
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	0	0.000		0.000	0	0.000
		Grand Total				**691.400**		**122.562**		**813.962**
		Total of Civil work				182.800		95.300		278.100
		% of Civil works				26.44		77.76		34.17
		Total of Management				28.490		0.000		28.490
		% of Management				4.12		0.00		3.50

ADDITIONAL PARA TEACHERS & CLASSROOMS

DISTRICT S.madhopur

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-010
No. of childern 6-11 age group	149065	153155	157358	161676	166112	170670	175354	180165
No. of childern 11-14 age group	88751	91186	93689	96259	98901	101315	104403	107268
No. of childern 6-14 age group	237816	244341	251047	257935	265013	271985	279757	287433
Enrolment in I To VIII class	238246	244202	250307	256565	262979	269553	276292	283200
Enrolment in AS/EGS	26350	17900	11950	8750	1430			
Enrolment in Private school	75700	75703	77595	79535	81523	83562	85651	87792
Enrolment in Govt school	136196	150599	160762	168280	180026	185992	190642	195408
No. Teacher 1:40	3405	3765	4019	4207	4501	4650	4766	4885
Post Sanctioned	3229							
No.of additional teacher required	176	94	100	105	113	116	119	122
No of classrooms required	1474	360	254	188	294	149	116	119

Additional Teachers & Class rooms

Name of District:-S.Madhopur

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
No of Children 6-11 Age Group	149065	153155	157358	161676	166112	170670	175354	180165
No of Children 11-14 Age Group	88751	91186	93689	96259	98901	101315	104403	107268
No of Children 6-14 Age Group	237816	244341	251047	257935	265013	271985	279757	287433
Enrolment in i To Viii Class	238246	244202	250307	256565	262979	269553	276292	283200
Enrolment in AS/EGS	26350	17900	11950	8750	1430			
Enrolment in private School	75700	75703	77595	79535	81523	83562	85651	87792
Enrolment in Gcvt. School	136196	150599	160762	168280	180026	185992	190642	1954408
NO. Teacher 1:40	3405	3765	4019	4207	4501	4650	4766	4885
Post Sanctioned	3229							
No. of Additional Teacher Required	176	94	100	105	113	116	119	122
No. of Classrooms Required	1474	360	254	188	294	149	116	119

Status Schools & Upgradition

DISTRICT S.madhopur

Year	Position of Schools						Upgadation		Position after upgradition					
	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total	PS	UPS	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total
2002-03	560	229	419	39	13	1260		12	548	241	419	39	13	1260
2003-04	548	241	419	39	13	1260	169	39	678	280	250	39	93	1340
2004-05	678	280	250	39	93	1340	119	39	758	319	170	0	93	1340
2005-06	758	319	170	0	93	1340	80	40	798	359	90	0	93	1340
2006-07	798	359	90	0	93	1340	183	27	954	386	0	0	0	1340
2007-08	954	386	0	0	0	1340		61	893	447				1340
2008-09	893	447	0	0	0	1340		0	893	447				1340
2009-10	893	447	0	0	0	1340		0	893	447				1340
								0	0	0				0

Name of Activities	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	Total
Upgradation Primary School to Upper Primary Schools	51	0	29	46	65				191
Conversion of EGS (RGSJP)/AS into PS		168	142	84	83				477
Education Gaurantee Scheme (EGS)									0
No of Childern in primary school	25816	19096	15736	12376	9056				82080
No. of Childern In Upper Primary School		300	300	300	300				1200
Enrollment Under AIE		400	400	400	400				1600
Enrollment under NGO		1500	1500	1500	1500				6000
Additional Para Teachers									0
Primary School									0
Upper Primary School	229	229	229	229	229				1145
Others Schools		21	21	21	21				84
No. of Panchayat		197	197	197	197				788
Teacheing Learning Material to Teacher									0
Teacheing Leaming Material to P.S.Teacher									0
Teacheing Learning Material to U.P.S. Teacher	1152	1804	1804	1804	1804				8368
Teacheing Learning Material to Other schools. Teacher		60	60	60	60				240
									0
No. of Blocks	5	5	5	5	5				25
No of Clusters	57	57	57	57	57				285
Civil Works									0
Construction of School Building (Two Room)		32	72	72	56				232
Construction of School Building (Three Room)		4							4
Additional Class Rooms	60	250	200	200	180				890
Toilets	100		143						243
Hand Pumps / Tanka		200	200	100	87				587
PHED Connection		45							45
RAMPS		50	50	50	50				200
Construction of BRC									0
Construction of CRC									0
Computer Education for Learner		3000	3000	3000	3000				12000
UPS S.C./S.T. Boys	6345	6600	6800	7000	7200				

Organising Remidial Classes		50	50	50	50				200
Bridge Course									0
Residential		12	12	12	12				48
Non-Residential		8	8	8	8				32
Integrated Education for Disabled		1874	1874	1874	1874				7496
Organizing vocational Classes		10	10	10	10				40
Education for Migratory Childrens		100	100	100	100				400
Education for Working Children		300	300	300	300				1200
									0